



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022023-243777
CG-DL-E-21022023-243777

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2023/फाल्गुन 2, 1944

No. 96]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023/PHALGUNA 2, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 118(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परन्तुक के खंड (ख), धारा 12क की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2023 को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में, जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है, नियम 16गग, के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘16गग. धारा 10(23ग) के दसवें परन्तुक के अधीन विहित संपरीक्षा रिपोर्ट का प्ररूप.—ऐसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट, जिसका धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परन्तुक के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, निम्नलिखित प्ररूप में होगी—

(क) प्ररूप संख्या 10ख जहां—

- (I) उक्त खंड के उपखंड (iv), (v), (vi) और (viक) के उपबंधों को प्रभाव दिए बिना ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की कुल आय पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपए से अधिक है ; या
- (II) ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था ने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कोई विदेशी अभिदाय ग्रहण किया है ; या
- (III) ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था ने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान भारत से बाहर अपनी आय का कोई भाग दिया है ;

(ख) अन्य मामले में प्ररूप सं. 10खख ।

स्पष्टीकरण.- खंड (क) के उपखंड (II) के प्रयोजन के लिए “विदेशी अभिदाय” पद का वही अर्थ होगा जो उसका विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) में है ।’।

3. मूल नियम के नियम 17ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘17ख. पूर्त या धार्मिक न्यास आदि के मामले में संपरीक्षा रिपोर्ट.— किसी न्यास या संस्था के लेखे की संपरीक्षा रिपोर्ट जिसे धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन दिया जाना अपेक्षित है, निम्नलिखित प्ररूप में होगी—

(क) प्ररूप सं. 10ख, जहां—

- (I) अधिनियम की धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों को प्रभाव दिए बिना ऐसे न्यास या संस्था की कुल आय पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपए से अधिक है ; या
- (II) ऐसे न्यास या संस्था ने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कोई विदेशी अभिदाय ग्रहण किया है ; या
- (III) ऐसे न्यास या संस्था ने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान भारत के बाहर अपनी आय का कोई भाग दिया है ;

(ख) अन्य मामले में प्ररूप सं. 10खख ।

स्पष्टीकरण.- खंड (क) के उपखंड (II) के प्रयोजन के लिए “विदेशी अभिदाय” पद का वही अर्थ होगा जो उसका विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) में है ।’।

4. मूल नियम के प्ररूप सं. 10ख के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘प्ररूप सं. 10ख’

[नियम 16गग और 17ख देखिए]

ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की दशा में आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परन्तुक के खंड (ख) और धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट ।

*मैने/हमने [ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था का नाम] तारीख.....को तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय और व्यय का लेखा या लाभ तथा हानि लेखा की जांच की हैं जो ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था द्वारा रखी गई लेखा-बहियों के अनुरूप है।

*मैने/हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।

*मेरी/हमारी राय में, लेखाओं की समुचित बहियां उपाबंध की क्रम संख्या 14 पर उल्लिखित पते पर उपरोक्त नामित ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखी गई है :

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और *मुझे/हमे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपाबंध में दी गई विशिष्टियां निम्नलिखित संप्रेक्षणों या अर्हताओं के अधीन सत्य और सही हैं—

(क).....

(ख).....

(ग).....

* मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और *मुझे/हमे दी गई जानकारी के अनुसार उक्त लेखाओं में निम्नलिखित के संबंध में सत्य और उचित अवलोकन दिए गए हैं—

(i) तुलन-पत्र की दशा में, तारीख.....को ऊपर नामित निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के क्रियाकलापों की स्थिति ; और

(ii) (ii) आय और व्यय लेखा या लाभ और हानि लेखा की दशा मेंको निम्नलिखित संप्रेक्षणों/अर्हताओं के अधीन समाप्त होने वाले लेखा वर्ष की आय और उपयोग या लाभ या हानि-

(क).....

(ख).....

(ग).....

विहित विशिष्टियां इसके साथ संलग्न हैं।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षरित अकाउंटेंट +

नाम

सदस्यता संख्या

पता

टिप्पण:

1. *जो लागू न हो उसे काट दे।
2. †यह रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जाएगी।
3. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी भी मामले का नकारात्मक या अर्हता के साथ उत्तर दिया जाता है, तो रिपोर्ट में उसके कारण बताए जाएंगे।

उपाबंध										
विशिष्टियों का विवरण										
आधारिक ब्यौरे	1.	संपरीक्षिती का पेन	ए बी सी डी ई 1 2 3 4 एफ							
	2.	संपरीक्षिती का नाम								
	3.	निर्धारण वर्ष								
	4.	पूर्व वर्ष	दि दि म म व व व व से दि दि म म व व व व							
	5.	संपरीक्षिती का रजिस्ट्रीकृत पता								
	6.	अन्य पते, यदि लागू हों	< निर्देश टिप्पण*>							
विधिक	7.	संपरीक्षिती का प्रकार	न्या ☐ सोसा ☐ कंपनी ☐ अन्य ☐ स इटी							
	8.	क्या संपरीक्षिती किसी लिखत के अधीन स्थापित किया गया है?	हां/नहीं							
रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे	9.	आय-कर अधिनियम के अधीन संपरीक्षिती के रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन/अनंतिम अनुमोदन अथवा अधिसूचना के ब्यौरे (सभी रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/अनंतिम अनुमोदन/अधिसूचना के ब्यौरे, जो पूर्ववर्ष के दौरान विधिमान्य है, प्रदान किए जाने चाहिए, तथापि जहां संपरीक्षिती ने अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन कराया है, वहां अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन के ब्यौरे प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है)								
		धारा जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत/अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत या अनुमोदित/अनंतिम रूप से अनुमोदित/अधिसूचित किया गया है (निर्देश टिप्पण **)	रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन/अनंतिम अनुमोदन/अधिसूचना की तारीख (दिदि/मासा/वववव)	रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन/अधिसूचना/विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या (यूआरएन), यदि उपलब्ध हो	रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन/अनंतिम अनुमोदन प्रदान करने वाला या अधिसूचना जारी करने वाला प्राधिकारी	वह तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन/अनंतिम अनुमोदन/अधिसूचना प्रभावी हुआ/हुई (दिदि/मासा/वववव)				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
प्रबंधन	10.	(क) पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय संपरीक्षिती के सभी कर्ता(ओं)/संस्थापक(कों)/व्यवस्थापक(कों)/न्यासी(न्यासियों)/सोसाइटी के सदस्यों/शासी परिषद् के सदस्यों/निदेशक(कों)/पांच प्रतिशत या अधिक धृति धारण करने वाले शेयरधारकों/ऑफिस बियरर(यों) के ब्यौरे								
		व्यक्ति का नाम	नातेदारी < निर्देश टिप्पण #>	शेयरधारक की दशा में धृति का प्रतिशत	विशिष्ट पहचान संख्या	आईडी कोड < निर्देश टिप्पण###>	पता	क्या संपरीक्षा का पूर्व वर्ष के दौरान नातेदारी में कोई परिवर्तन हुआ है हां/नहीं	यदि हां, तो परिवर्तन विनिर्दिष्ट करें	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
	(ख) उस दशा में यदि व्यक्तियों में कोई (पंक्ति 10(क) में यथा उल्लिखित) व्यक्ति नहीं है तब प्राकृतिक व्यक्तियों जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय ऐसे व्यक्तियों के हिताधिकारी स्वामी (5% से अधिक) हैं के निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें									
	क्र.सं.	नाम	विशिष्ट पहचान संख्या	आईडी कोड < निर्देश टिप्पण###>	पता	गैर व्यष्टिक व्यक्ति [पंक्ति संख्या 10(क) में यथा उल्लिखित] जिसमें हिताधिकारी स्वामित्व निहित है	हिताधिकारी स्वामित्व का प्रतिशत	क्या संपरीक्षा के पूर्व वर्ष के दौरान किसी प्रकार का कुल परिवर्तन किया गया है हां/नहीं	यदि हां, तो परिवर्तन विनिर्दिष्ट करें	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
उद्देश्य	11.	संपरीक्षिती के उद्देश्य						निर्देश टिप्पण\$		
	12.	(i)	क्या निर्धारिती जो धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट न्यास या संस्था है, ने उद्देश्यों को अंगीकृत या उनमें उपांतरण किया है, जो रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन नहीं करते हैं?						हां/नहीं	

	(ii)	यदि हाँ, कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें:-							
	(अ)	ऐसे उपांतरण/ अंगीकरण की तारीख (दिदि/मामा/वववव)							
	(आ)	क्या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, धारा 12 क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (v) के अनुसार उक्त अंगीकरण या उपांतरण की तारीख से तीस दिवस की नियत अवधि के भीतर विहित प्ररूप और रीति में किया गया है					हां/नहीं		
	(इ)	यदि हाँ, 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (v) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के संबंध में निम्नलिखित व्यौरे प्रदान करें							
		क्र.सं.	आवेदन की तारीख	आवेदन के अनुसरण में रजिस्ट्रीकरण की प्रास्थिति	ऐसे आवेदन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण/रद्दकरण की तारीख	ऐसे रजिस्ट्रीकरण का यूआरएन			
				(लंबित है/रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया/रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया)	(दिदि/मामा/वववव)				
क्रियाकलापों का प्रारंभ	13.	(i)	क्या संपरीक्षिती को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है, क्या क्रियाकलाप पूर्व वर्ष के दौरान प्रारंभ हो चुके हैं					हां/नहीं	
		(ii)	यदि 13(i) का उत्तर हां में है, तो क्रियाकलापों के आरंभ की तारीख					दि दि मा मा व व व व	
		(iii)	यदि 13(i) का उत्तर हां में है, तो क्या धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (iii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iii) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन फाइल किया गया है?					हां/नहीं	
		(iv)	यदि उपरोक्त 13 (iii) का उत्तर हां में है तो धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (iii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iii) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन के संबंध में निम्नलिखित व्यौरे प्रदान करें						
			क्र.सं.	आवेदन की तारीख	आवेदन के अनुसरण में रजिस्ट्रीकरण की प्रास्थिति	ऐसे आवेदन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण/रद्दकरण की तारीख	ऐसे रजिस्ट्रीकरण का यूआरएन		
					(लंबित है/रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया/रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया)	(दिदि/मामा/वववव)			
स्थान के व्यौरे जहां लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज रखे जाते हैं	14.	(i)	क्या लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज संपरीक्षिती द्वारा धारा 17कक के अधीन यथा विहित प्ररूप और रीति में तथा ऐसे स्थान पर रखे और अनुरक्षित किए जाते हैं					हां/नहीं	
		(ii)	लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों के निम्नलिखित व्यौरे प्रदान करें						
		क्र.सं.	लेखा बहियों की प्रकृति	क्या संपरीक्षिती द्वारा अनुरक्षित किया गया है (हां/नहीं)	क्या कंप्यूटर में अनुरक्षित है, (हां/नहीं)	क्या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में अनुरक्षित है (हां नहीं)	क्या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में अनुरक्षित है (हां नहीं)	क्या लेखा बहियों का संपरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)	
			<टिप्पण \$\$ देखें>			ऐसे स्थान का पता	प्रबंधन द्वारा ऐसे स्थान पर लेखा रखने के निर्णय की तारीख	निर्धारण अधिकारी को सूचित करने की तारीख कि नियम 17कक के उप-नियम (3) के परंतुक के अधीन लेखा बहियों ऐसे स्थान पर अनुरक्षित की जाती हैं	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की उन्नति	15.	जहां, संपरीक्षिती द्वारा संचालित किसी भी परियोजना/संस्था में, पूर्व उद्देश्यों में से एक सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति है, -							
		(क)	क्या संपरीक्षिती द्वारा कोई ऐसे क्रियाकलाप किए जा है जो धारा 2 के खंड (15) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति की है?					हां/नहीं	
		(ख)	यदि हाँ, तो कुल प्राप्ति की तुलना में ऐसी क्रियाकलापों से प्राप्ति का प्रतिशत					%	
		(ग)	क्या व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति में ऐसे क्रियाकलाप, आम सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की ऐसी उन्नति के वास्तविक कार्यान्वयन के दौरान किए जाते हैं					हां/नहीं	
		(घ)	क्या धारा 2 के खंड (15) के परंतुक में निर्दिष्ट किसी प्रतिफल के लिए किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप है?					हां/नहीं	

		(ड)	यदि हाँ, तो कुल प्रामियों की तुलना में ऐसे क्रियाकलाप से प्रामियों का प्रतिशत						%				
		(च)	क्या सेवा प्रदान करने की ऐसे क्रियाकलाप सामान्य लोकोपयोगी किसी अन्य वस्तु की ऐसी उन्नति के वास्तविक कार्यान्वयन के क्रम में की जाती है						हां/नहीं				
16.	यदि 15 में 'क' या 'घ' हां है, तो उस परियोजना/संस्था के संबंध में ऐसे क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्रामियां												
	क्र.सं.	परियोजना/संस्था का नाम					15क और 15घ में निर्दिष्ट क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्रामियों की रकम (रु. में)						
	कुल												
कारबार उपक्रम	17.	(i)	क्या संपरीक्षिती के पास धारा 11 की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट कोई कारबार उपक्रम है								हां/नहीं		
		(ii)	यदि हाँ, तो कारबार उपक्रम के निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:										
			(क)	कारबार उपक्रम की प्रकृति									
			(ख)	कारबार कोड									
			(ग)	क्या व्यापार उपक्रम के लिए खाते की अलग-अलग लेखों का अनुरक्षण किया गया है <टिप्पण देखें ^>								हां/नहीं	
			(घ)	पूर्व वर्ष के लिए कारबार उपक्रम से आय जिसे धारा 11 की उप-धारा (4) के अनुसार संपरीक्षिती की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाना है								रकम रुपये में	
		(ङ)	पूर्व वर्ष के लिए कारबार उपक्रम से आय जिसे धारा 11 की उप-धारा (4) के अनुसार संपरीक्षिती की कुल आय में सम्मिलित किया जाना है								रकम रुपये में		
वस्तुओं के लिए व्यापार आकस्मिक	18.	(i)	क्या संपरीक्षिती के पास यथास्थिति, धारा 10 के खंड (23ग) के सातवें परंतुक या धारा 11 की उप-धारा (4क) में निर्दिष्ट, , किसी भी कारबार से लाभ और अभिलाभ के रूप में कोई आय है								हां/नहीं		
		(ii)	यदि हाँ, तो ऐसे कारबार का निम्नलिखित विवरण दें:								हां/नहीं		
			(क)	कारबार की प्रकृति									
			(ख)	कारबार कोड									
			(ग)	क्या कारबार के लिए पृथक लेखा बहियां रखी गई हैं<टिप्पण देखें^>								हां/नहीं	
			(घ)	क्या कारबार संपरीक्षिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के आनुषंगिक है								हां/नहीं	
		(ङ)	पूर्व वर्ष के दौरान कारबार से लाभ और अभिलाभ								रकम रुपये में		
रसीदों पर टीडीएस	19.	धारा 194ग या 194ज या 194थ या 194द में निर्दिष्ट संपरीक्षिती की प्राप्ति का विवरण जिस पर स्रोत पर कर काटा गया है:											
		क्र.सं.	कटौती कर्ता का नाम	कटौती कर्ता का टैन	रकम जिस पर स्रोत पर कर की कटौती की गई है (रुपये में)	स्रोत पर काटे गए कर की रकम	धारा जिसके अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती की गई है	आय/प्राप्ति की श्रेणी			स्तंभ 7 या 8 में आय/प्राप्ति जो संपरीक्षिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक कारबार से है। (रुपये में)	क्या क्रियाकलाप आय/प्राप्ति के लिए पृथक लेखा बहियां रखी गई हैं, जिनका उल्लेख स्तंीा 10 में किया गया है (हां नहीं)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	व्यापार, वाणिज्य या कारबार (रुपये)	किसी भी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का क्रियाकलाप(रु)	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें) (रु।)	(10)	(11)	
	20.	क्या धारा 10 के खंड (23ग) या धारा 13 की उप-धारा (10) के बाइसवें परंतुक के उपबंध लागू हैं।										हां/नहीं	
स्वच्छिक अभिदाय	21.	क्या संपरीक्षिती ने पूर्व वर्ष के लिए प्ररूप सं. 10खघ फाईल किया है <यदि नहीं तो पंक्ति 23 पर जाएं >										हां/नहीं	
	22.	पूर्व वर्ष के लिए संपरीक्षिती द्वारा प्रस्तुत प्ररूप सं. 10खघ में रिपोर्ट किए गए संदान का कुल योग										(रकम रुपये में)	
	23.	संदान प्ररूप सं. 10खघ में रिपोर्ट नहीं किया गया है / प्ररूप सं. 10खघ भरने की आवश्यकता नहीं है											
		(i)	संपरीक्षिती की निधि या न्यास या संस्था द्वारा प्राप्त संदान जो कि धारा 80 छ की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन अनुमोदित है								रकम रुपये में		
	(ii)	संपरीक्षिती की निधि या न्यास या संस्था द्वारा प्राप्त संदान जो धारा 80छ के अधीन कटौती के लिए अर्हित है (धारा 80 छ की उप-धारा (2) के खंड (ख) या धारा 80छ की उप-धारा (2) के खंड (क) के उप-खंड (iv) के अधीन अर्हित संदान से भिन्न)								रकम रुपये में			

	(iii)	धारा 80छ की उप-धारा (2) के खंड के उप-खंड (iv) के अधीन अनुमोदित लेखापरीलेखापरीक्षिति की निधि या न्यास या संस्था द्वारा प्राप्त संदान और जो धारा 80छ की उप-धारा (5) के अधीन पात्र नहीं हैं		(क)	2000 रुपए से अधिक नकद संदान		रकम रुपये में	
				(ख)	अन्य पूर्त न्यासों और संस्था से या किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थाओं या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था से प्राप्त संदान, जो कटौती के लिए अर्हित नहीं है		रकम रुपये में	
				(ग)	अन्य <प्रकृति निर्दिष्ट करें>		रकम रुपये में	
				(घ)	कुल (क)+(ख)+(ग)		रकम रुपये में	
				(iv)	संदान, जो प्ररूप संख्या 10खघ के अधीन दाता की पहचान की अनुपलब्धता के कारण प्ररूप संख्या 10खघ में रिपोर्ट नहीं किया जा सका			
	(v)	संदान वस्तु के रूप में प्राप्त हुआ					रकम रुपये में	
	(vi)	अनुभाग 115खखग में निर्दिष्ट अनाम संदान					रकम रुपये में	
		(क)	धारा 115खखग की उप-धारा (1) के खंड (i) के लागू होने के कारण धारा 115खखग के अधीन अकराधेय अनाम संदान की रकम					रकम रुपये में
		(ख)	धारा 115खखग की उप-धारा (2) के खंड (क) के लागू होने के कारण धारा 115खखग के अधीन अकराधेय अनाम संदान की रकम					रकम रुपये में
		(ग)	धारा 115खखग की उप-धारा (2) के खंड (ख) के लागू होने के कारण धारा 115खखग के अधीन अकराधेय अनाम संदान की रकम					रकम रुपये में
		(घ)	धारा 115खखग के अधीन 30% की दर से कराधेय अन्य अनाम संदान					रकम रुपये में
		(ङ)	रकम रुपये में					रकम रुपये में
	(vii)	कोई अन्य स्वैच्छिक अभिदाय जो प्ररूप संख्या 10खघ का भाग नहीं है				रकम रुपये में	रकम रुपये में	
	(viii)	प्ररूप संख्या में 10खघ [23(i)+23(ii)+23(iii)(घ) +23(iv)+23(v)+23(vi)(ङ)+23(vii)] कुल संदान की सूचना नहीं दी गई है					रकम रुपये में	
	24.	पूर्व वर्ष के दौरान संपरीक्षिती द्वारा प्राप्त कुल स्वैच्छिक अभिदाय [22+23(viii)]					रकम रुपये में	
	25.	24 में बताए गए कुल स्वैच्छिक अभिदाय में से कुल विदेशी अभिदाय					रकम रुपये में < अनुसूची चग भरें >	
	26.	समग्र का हिस्सा बनने वाला स्वैच्छिक अभिदाय (जो 24 में सम्मिलित हैं)					रकम रुपये में	
		(अ)	धारा 80छ की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित स्थानों के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त संदान का प्रतिनिधित्व करने वाला समग्र, धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 1क या धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3क के अधीन छूट के लिए अर्हित है					रकम रुपये में < अनुसूची समग्र भरें>
		(आ)	धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (घ) या धारा 10 (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 1 में यथा निर्दिष्ट समग्र छूट के लिए अर्हित है और धारा की उप-धारा (5) के अधीन निर्दिष्ट रीति में विनिवेशित किया गया है।					रकम रुपये में < नुसूची समग्र भरें>
	27.	पूर्व वर्ष के दौरान संपरीक्षिती द्वारा लागू किए जाने के लिए अपेक्षित स्वैच्छिक अभिदाय [24-{23(vi)(डी)+26ए+ 26बी}]					रकम रुपये में	
लागू होने वाली आय	28.	धारा 11 में निर्दिष्ट न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न स्वैच्छिक अभिदाय के अतिरिक्त अन्य आय या निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की आय (क्रम संख्या 24 में रिपोर्ट किए गए अभिदाय से भिन्न)					रकम रुपये में	
	29.	भारत के बाहर उपयोजित आय, जो धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन अर्हित है					रकम रुपये में < ईट ऐप अनुसूची भरें>	
	30.	पूर्व वर्ष के दौरान संपरीक्षिती द्वारा भारत में उपयोजित किए जाने के लिए अपेक्षित आय [27+28-29]					रकम रुपये में	
आय का आवेदन	31.	आय का उपयोजन (निरर्हित और क्रम संख्या 37 के अधीन रिपोर्ट किए गए आवेदन को छोड़कर)						
	(i)	पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोजित कुल रकम		+इलेक्ट्रॉनिक (रुपये में)	इलेक्ट्रॉनिक के अलावा (रुपये में)	रकम रुपये में		

	(क)	पूर्व वर्ष के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को अभिदाय या संदान						रकम रुपये में	
	(ख)	(क) में उपबंधित उपयोजन से भिन्न उद्देश्य वार उपयोजन							
		(I)	धर्म						रकम रुपये में
		(II)	निर्धन को सहायता						रकम रुपये में .
		(III)	शिक्षा						रकम रुपये में
		(IV)	चिकित्सा सहायता						रकम रुपये में
		(V)	योग						रकम रुपये में
		(VI)	पर्यावरण का संरक्षण (वाटरशेड, वन और वन्य जीवन सहित)						रकम रुपये में .
		(VII)	कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण						रकम रुपये में
		(VIII)	मान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य वस्तु की उन्नति						रकम रुपये में
		(IX)	आवेदन जो विशेष रूप से (I) से (VIII) के अधीन वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है						रकम रुपये में
		(X)	कुल						रकम रुपये में
	(ग)	कुल उपयोजन [(क) + (ख)(X)]						रकम रुपये में	
(ii)	(i) (क) और (i) (ख) में से उपयोजन का विवरण जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को 50 लाख रुपये से अधिक का संदाय हुआ।								
	क्र.सं.	उस व्यक्ति का नाम जिसे रकम संदत्त या प्रत्यय	ऐसे व्यक्ति का पैन	उपयोजन की रकम (रुपये)	उपयोजन का ढंग		टीडीएस		
					+ इलेक्ट्रॉनिक मोड (रु.)	इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न (रु.)	कुल	क्या कोई टीडीएस काटा गया है हां/नहीं	द्वारा जिसके अधीन टीडीएस काटा गया है
(iii)	रकम, जो वास्तव में पूर्व वर्ष के दौरान संदत्त नहीं की गई थी [यदि (i)(सी) में सम्मिलित है]							रकम रुपये में	
(iv)	पूर्व वर्ष के दौरान वास्तव में संदत्त की गई रकम रकम जो किसी भी पूर्व वर्ष के दौरान उद्भूत हुई थी लेकिन उससे पहले पूर्व वर्ष में आय के उपयोजन के रूप में दावाकृत नहीं की गई थी							रकम रुपये में	
(v)	उपयोजन के रूप में स्वीकृत की जाने वाली कुल रकम [31(i)(ग)- 31(iii) +31(iv)]							रकम रुपये में	
(vi)	राजस्व या पूंजी में 31 (v) में आवेदन का विभाजन							रकम रुपये में	
	(क)	राजस्व						रकम रुपये में	
	(ख)	पूंजी						रकम रुपये में	
(vii)	समग्र में विनिधान की गई या वापस जमा की गई रकम जिसे पूर्व किसी भी पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित किया गया था और उस पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजन के रूप में दावा नहीं किया गया था।							रकम रुपये में <अनुसूची समग्र भरें>	
(viii)	पूर्व वर्ष के दौरान ऋण या उधार का पुनर्संदाय जो पहले उपयोजित किया गया था और उस पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजन के रूप में दावाकृत नहीं किया गया था।							रकम रुपये में<अनुसूची ठख भरें>	
उपयोजन से अनानुजात की जाने वाली रकम									
(ix)	धारा 10 के खंड (23ग) के तहत परंतुक या धारा 40 के खंड (क) के उप-खंड (क) के साथ पठित धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के अधीन अनानुजात योग्य रकम							रकम रुपये में <अनुसूची टीडीएस भरें>	
(x)	धारा 10(23ग) के तहत परंतुक या धारा 40क की उप-धारा (3) या (3क) के साथ पठित धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के अधीन अनानुजात रकम ,							रकम रुपये में . <अनुसूची 40क(3)/अनुसूची 40क(3क) भरें>	
(xi)	अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था अधिनियम की धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था को समग्र के लिए किया गया संदान							रकम रुपये में	
(xii)	अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था अधिनियम की							रकम रुपये में	

		धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था को जिनका उद्देश्य समान नहीं है, किया गया संदान	
	(xiii)	अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था अधिनियम की धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था से भिन्न व्यक्ति को किया गया संदान	रकम रुपये में
	(xiv)	भारत के बाहर उपयोजन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक के अधीन अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है	रकम रुपये में
	(xv)	भारत के बाहर उपयोजन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक के अधीन अनुमोदन प्राप्त किया गया है	रकम रुपये में
	(xvi)	संपरीक्षिती के उद्देश्य से परे किसी भी उद्देश्य के लिए आवेदन किया	रकम रुपये में
	(xvii)	कोई अन्य अनानुज्ञात (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	रकम रुपये में
	(xviii)	कुल अनानुज्ञात उपयोजन [{31(v)+31(vii)+31(viii) - {31(ix) से 31(xvii) }]	रकम रुपये में
	(xix)	धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) के अधीन पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित मानी गई रकम	रकम रुपये में . < अनुसूची घट्ट भरें >
	(xx)	धारा 10 के खंड (23ग) या धारा 11 की उप-धारा (2) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 के परंतुकों के अनुसार संचित आय	रकम रुपये में <अनुसूची कग भरें >
	(xxi)	पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों या न्यास या संस्था की कथित उद्देश्यों के लिए संचित की गई या अलग रखी गई आय, जहां तक कि वह आय के 15% से अधिक नहीं है	रकम रुपये में
	32.	कराधेय आय [30- {31(xviii) to 31(xxi)}]	रकम रुपये में
	33.	धारा 115खखख के अधीन कराधेय आय	
	(क)	क्या संपरीक्षिती के पास धारा 11 की उप-धारा (1ख) में निर्दिष्ट कोई मानित आय और ऐसी मानी गई आय की रकम है जो धारा 115 खखख के अधीन 30% की दर से कर के लिए प्रभाय है?	हां/नहीं यदि हाँ तो अनुसूची घट्ट भरें
	(ख)	क्या संपरीक्षिती के पास धारा 10 के खंड (23सी) के तीसरे परंतुक या धारा 11 की उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण 4 में निर्दिष्ट कोई भी मानित आय है जो धारा 115बीबीआई के अधीन 30% कर के लिए प्रभाय है और ऐसी मानी गई रकम आय?	हां/नहीं यदि हाँ, तो अनुसूची कग. भरें
	(i)	क्या संचित आय का उपयोग पूर्त या धार्मिक उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है या उसके उपयोजन के लिए संचित नहीं रह गई है या आवेदन के लिए अलग नहीं रह गई है	रकम रुपये में

		(ii)	क्या ऐसी संचित आय धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी भी रूप या मोड में निवेशित या जमा रहना बंद हो जाती है	हां /नहीं	रकम रुपये में
		(iii)	क्या इस तरह की संचित आय का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए इसे जमा किया जाता है या धारा 10 के खंड (23 ग) के तीसरे उपबंध के स्पष्टीकरण 3 के खंड (क) या धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान अलग रखा जाता है	हां /नहीं	रकम रुपये में
		(iv)	क्या ऐसी संचित आय धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्थान या किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi)क में निर्दिष्ट अन्य चिकित्सा संस्थान को जमा या भुगतान की जाती है	हां /नहीं	रकम रुपये में
	(ग)	(i)	क्या लेखापरीक्षिती की कोई आय है जो धारा 10 के खंड (23ग) के इक्कीसवें परंतुक या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कुल आय से अपवर्जित नहीं की जाने वाली आय है जो धारा 115खखख के अधीन 30% कर के लिए प्रभाय है और ऐसी आय की रकम	हां /नहीं	रकम रुपये में
		(ii)	क्या लेखापरीक्षिती की कोई आय है जिसे धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (ख) के अधीन या धारा 13 के उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन कुल आय से अपवर्जित नहीं किया जाना है जो धारा 115खखख के अधीन 30% कर के लिए प्रभाय है और ऐसी आय की रकम	हां /नहीं	रकम रुपये में
	(घ)		क्या लेखापरीक्षिती की कोई आय पन्द्रह प्रतिशत से अधिक संचित या अलग रखी गई है। उस आय का जहां अधिनियम के किसी विशिष्ट उपबंध के अधीन इस तरह के संचय की अनुमति नहीं है और जो धारा 115खखख के अधीन 30% कर के लिए प्रभाय है और ऐसी आय की रकम	हां /नहीं	रकम रुपये में

		(ड)	क्या लेखापरीक्षिती ने भारत के बाहर कोई आवेदन किया है जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कुल आय से अपवर्जित नहीं किया गया है	हां /नहीं <यदि हाँ तो अनुसूची ईंट ऐप भरें>	रकम रुपये में						
	34.		बेनामी दान जो धारा 115खखग के अधीन @ 30% कर के लिए प्रभाय है		रकम रुपये में						
अन्य आय	35.		अन्य आय		रकम रुपये में						
		(क)	क्या लेखापरीक्षिती की धारा 12(2) के अधीन प्रभाय कोई आय है और ऐसी आय की रकम	हां /नहीं	रकम रुपये में						
		(ख)	धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) का उल्लंघन करने की दशा में धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3ख के अनुसार आय		रकम रुपये में <अनुसूची कॉर्पस भरें>						
		(ग)	धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 1क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) का उल्लंघन करने की दशा में धारा 10 के खंड 23ग के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 1ख के अनुसार आय		रकम रुपये में <अनुसूची कॉर्पस भरें>						
		(घ)	धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन प्रभाय आय		रकम रुपये में						
पूँजीगत आस्ति	36.		धारा 11 की उपधारा (1क) के अधीन हस्तांतरित पूँजीगत आस्ति के ब्यौरे								
		(1)	क्या धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए न्यास के अधीन पूरी तरह से धारित संपत्ति होने के नाते एक पूँजीगत संपत्ति को स्थानांतरित किया जाता है और सकल प्रतिफल जिसके लिए इसे स्थानांतरित किया जाता है?	हां /नहीं	रकम रुपये में						
		(2)	क्या डीमड आवेदन का दावा धारा 11 की उपधारा (1क) के खंड (क) के अनुसार किया गया है और ऐसे डीमड आवेदन की रकम?	हां /नहीं	रकम रुपये में						
		(3)	क्या पूँजीगत आस्ति केवल धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजन के लिए न्यास के अधीन रखी गई संपत्ति को हस्तांतरित की जाती है और सकल प्रतिफल जिसके लिए इसे स्थानांतरित किया जाता है?	हां /नहीं	रकम रुपये में						
		(4)	क्या डीमड आवेदन का दावा धारा 11 की उपधारा (1क) के खंड (ख) के अनुसार किया गया है और ऐसे डीमड आवेदन की रकम?	हां /नहीं	रकम रुपये में						
विभिन्न स्रोतों से आय का उपयोग	37.		पूर्व वर्ष के दौरान निम्नलिखित स्रोतों से आय का उपयोग								
		(क)	धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे उपबंध के अधीन या किसी भी पिछले वर्ष के दौरान धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन संचित आय	+ इलेक्ट्रॉनिक मोड (रु .)	इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न (रु .)	कुल रकम (रु .) <अनुसूची एसी भरें>					
		(ख)	धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) के अधीन किसी भी पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष में लागू मानी जाने वाली आय	+ इलेक्ट्रॉनिक मोड (रु .)	इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न (रु .)	कुल रकम (रु .) <अनुसूची डीआई भरें>					
		(ग)	पहले के पिछले वर्षों की आय 15% तक जमा या अलग रखी गई	+ इलेक्ट्रॉनिक मोड (रु .)	इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न (रु .)	कुल रकम (रु .)					
		(घ)	कोर्पस	+ इलेक्ट्रॉनिक मोड (रु .)	इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न (रु .)	कुल रकम (रु .) <अनुसूची कॉर्पस भरें>					
		(ड)	उधारा निधि	+ इलेक्ट्रॉनिक मोड (रु .)	इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न (रु .)	कुल रकम (रु .) <अनुसूची एलबी भरें>					
		(च)	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	+ इलेक्ट्रॉनिक मोड (रु .)	इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न (रु .)	कुल रकम (रु .) <अनुसूची एलबी भरें>					
	38.	37 में से किसी एक व्यक्ति को पूर्व वर्ष के दौरान 50 लाख रुपये से अधिक संदाय या क्रेडिट के परिणामस्वरूप आवेदन के ब्यौरे ।									
		क्र.सं	व्यक्ति का नाम	पैन	आवेदन की रकम (रु .)	आवेदन का तरीका		टीडीएस			
						+ इलेक्ट्रॉनिक	इलेक्ट्रॉनिक मोड से भिन्न	कुल	क्या कोई टीडीएस	धारा जिसके	टी डी

								मोड						काटा गया है (हां/नहीं)		अधीन टीडीएस काटा गया है		एस की रकम	
13 (10) और धारा 10 (23ग) का 22वां परंतुक	39	(i)		क्या धारा 10 के खंड (23ग) के 22वें परंतुक के उपबंध या धारा 13 की उपधारा (10) के उपबंध लागू हैं ?												हां/नहीं			
		(ii)		यदि (i) में हां है, तो धारा 10 के खंड (23ग) के 22वें परंतुक के उपबंध या धारा 13 की उपधारा (10) के उपबंध लागू होने के कारण विनिर्दिष्ट करें															
				(क)		धारा 2 के खंड (15) के परंतुक के उपबंध लागू है										हां/नहीं			
				(ख)		धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परंतुक के खंड (क) में विनिर्दिष्ट शर्त या धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) का उल्लंघन किया गया है										हां/नहीं			
				(ग)		धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परंतुक के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्त या धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) का उल्लंघन किया गया है										हां/नहीं			
				(घ)		धारा 10 के खंड (23ग) के बीसवें परंतुक में विनिर्दिष्ट शर्त या धारा 12क की उपधारा (1) का खंड (खक) के उपखंड (ii) का उल्लंघन किया गया है										हां/नहीं			
		(iii)		यदि (i) में हां है, तो कृपया धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक या धारा 13 की उपधारा (10) के अधीन प्रभावी आय की संगणना प्रदान करें															
				(क)		पूर्व वर्ष के लिए आय										रकम रुपये में			
				(ख)		लेखापरीक्षिती के प्रयोजनों के लिए भारत में किया गया कुल व्यय,										रकम रुपये में			
				(ग)		अननुज्ञात किया जाने वाला व्यय													
						(i)		उस आकलन वर्ष से संबंधित पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर न्यास या संस्था के खाते में जमा कोष से व्यय, जिसके लिए आय की गणना की जा रही है										रकम रुपये में	
						(ii)		किसी ऋण या उधार से व्यय										रकम रुपये में	
						(iii)		किसी आस्ति के संबंध में मूल्यहास, जिसका अधिग्रहण उसी या किसी अन्य पूर्व वर्ष में आय के आवेदन के रूप में दावा किया गया है; और										रकम रुपये में	
						(iv)		किसी व्यक्ति को अभिदाय या दान के रूप में व्यय।										रकम रुपये में	
						(v)		पूंजीगत व्यय										रकम रुपये में	
						(vi)		धारा 13 की उप-धारा (10) के स्पष्टीकरण या धारा 40 के खंड (क) के उप-खंड (िक) के साथ पठित धारा 10 के खंड 23ग के 22वें परंतुक के स्पष्टीकरण के अधीन अननुज्ञात रकम										रकम रुपये में <अननुज्ञात टीडीएस अनुसूची भरें >	
						(vii)		धारा 13 की उप-धारा (10) के स्पष्टीकरण या धारा 40क की उप-धारा 3 या उप-धारा 3क के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक के स्पष्टीकरण के अधीन अननुज्ञात रकम										रकम रुपये में < अनुसूची 40क(3)अनुसूची/ 40क(3क) अनुसूची भरें>	
						(viii)		कोई अन्य अननुज्ञात										रकम रुपये में	
		(ix)		अननुज्ञात किया जाने वाला कुल व्यय (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(viii))										रकम रुपये में					
		(घ)		धारा 10 के खंड 23ग के 22वें परंतुक या धारा 13 की उपधारा 10 के अधीन कर की प्रभावी आय [क-ख+ग (ix)]										रकम रुपये में					
धार्मिक कार्यों के लिए उपगत व्यय	40.	यदि धारा 80छ की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अधीन लेखापरीक्षिती अनुमोदित है, तो कृपया निम्नलिखित व्यौरे प्रदान करें																	
		(क)		क्या पूर्व वर्ष के दौरान किए गए व्यय की कोई रकम जो धार्मिक प्रकृति की है और इस तरह के व्यय की रकम										हां/नहीं		यदि हां, तो रकम विनिर्दिष्ट करें रुपये में।			
		(ख)		पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती की कुल आय												रकम रुपये में			
		(ग)		कुल आय में धार्मिक प्रकृति के व्यय का प्रतिशत [(क)/(ख) में रकम]												%			

13 (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति

41.	धारा 13 की उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्ति* का विवरण					
	धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति का कोड <नोट देखें ^^>	ऐसे व्यक्ति का नाम	ऐसे व्यक्ति का पैन	ऐसे व्यक्ति का आधार नंबर, यदि आवंटित किया गया हो	ऐसे व्यक्ति का पता	यदि स्तंभ (1) में कोड 2 चुना गया है तो लेखापरीक्षिती को किए गए अभिदाय की रकम निर्दिष्ट करें
42.	धारा 13(2) में निर्दिष्ट संव्यवहारों के ब्यौरे					
(क)	क्या लेखापरीक्षिती की आय या संपत्ति का कोई हिस्सा पिछले वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए पर्याप्त सुरक्षा या पर्याप्त ब्याज या दोनों के बिना किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को उधार दिया गया है या जारी है					हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-क भरें>
(ख)	क्या लेखापरीक्षिती की कोई भूमि, भवन या अन्य संपत्ति किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के उपयोग के लिए पिछले वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए पर्याप्त किराया या अन्य मुआवजा लिए बिना उपलब्ध कराई गई है या बनी हुई है;					हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-ख भरें >
(ग)	क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को न्यास या संस्था के संसाधनों से उस व्यक्ति द्वारा ऐसे लेखापरीक्षिती को प्रदान की गई सेवाओं के लिए किसी भी रकम का भुगतान वेतन, भत्ते या अन्यथा के रूप में किया गया है और इस प्रकार भुगतान की गई रकम रकम से अधिक है ऐसी सेवाओं के लिए यथोचित भुगतान किया जाए;					हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-ग भरें >
(घ)	क्या लेखापरीक्षिती की सेवाएं पूर्व वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को पर्याप्त पारिश्रमिक या अन्य सुआवजे के बिना उपलब्ध कराई गई हैं;					हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-घ भरें >
(ङ)	क्या कोई शेयर, सुरक्षा या अन्य संपत्ति पूर्व वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति से लेखापरीक्षिती द्वारा या उसकी ओर से विचार के लिए क्रय की गई है जो पर्याप्त से अधिक है;					हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-ड.1/ड.2 भरें >
(च)	क्या कोई शेयर, सुरक्षा या अन्य संपत्ति लेखापरीक्षिती द्वारा या उसकी ओर से पूर्व वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को प्रतिफल के लिए बेची गई है जो पर्याप्त से कम है;					हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-च1/च2 भरें >
(छ)	क्या लेखापरीक्षिती की कोई आय या संपत्ति पूर्व वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पक्ष में डायवर्ट की गई है					हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-छ भरें >
(ज)	लेखापरीक्षिती की कोई निधि पिछले वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए निवेश की गई है, या बनी हुई है, किसी भी संबंध में जिसमें किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पर्याप्त हित है।					हां /नहीं <यदि हां, तो अनुसूची एसपी-ज भरें >

निर्दिष्ट उल्लंघन

43.	निर्दिष्ट उल्लंघन						
	क्या लेखापरीक्षिती ने धारा 10 के खंड (23ग) के पंद्रहवें परंतुक के स्पष्टीकरण 2 या धारा 12कख की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण और इस तरह के उल्लंघन की रकम के अनुसार कोई निर्दिष्ट उल्लंघन किया है				हां /नहीं	रकम रुपये में	
	(क)	लेखापरीक्षिती की आय , न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अलावा, लागू की गई है।				हां /नहीं	रकम रुपये में
	(ख)	क्या लेखापरीक्षिती के पास व्यवसाय के लाभ और लाभ से आय है जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं है या लेखापरीक्षिती द्वारा व्यवसाय के संबंध में खाते की अलग-अलग किताबें नहीं रखी जाती हैं जो इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है।				हां /नहीं	रकम रुपये में
	(ग)	क्या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षिती ने निजी धार्मिक उद्देश्यों के लिए एक न्यास के अधीन आयोजित संपत्ति से अपनी आय का कोई हिस्सा लागू किया है, जो कि लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं करता है।				हां /नहीं	रकम रुपये में
	(घ)	क्या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षिती ने किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए अपनी आय का कोई हिस्सा लगाया है।				हां /नहीं	रकम रुपये में
	(ङ)	लेखापरीक्षिती द्वारा की जा रही कोई गतिविधि वास्तविक नहीं है या उन सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं की जा रही है जिनके अधीन इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया था।				हां /नहीं	रकम रुपये में

	(च)	क्या लेखापरीक्षिती ने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है, और आदेश, निर्देश या डिक्री, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, यह मानते हुए कि ऐसा गैर-अनुपालन हुआ है, या तो विवादित नहीं है या अंतिमता प्राप्त की।	हां/नहीं	< विधि अनुसूची भरें >
44.		क्या किसी आस्ति के संबंध में धारा 11 की उपधारा (6) या धारा 10 के खंड 23ग के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार किसी मूल्यहास या अन्यथा का दावा किया गया है, जिसके अर्जन का दावा आय के आवेदन के रूप में किया गया है और ऐसे मूल्यहास की रकम	हां/नहीं	यदि हाँ तो रकम का विनिर्दिष्ट करें
45.		धारा 10 के खंड (23ग) के उन्नीसवें परंतुक या धारा 11 की उपधारा (7) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें कि क्या न्यास या संस्थान ने पूर्ववर्ष के दौरान धारा 10 के अधीन कटौती का दावा किया है [खंड (1), खंड (23ग) और उसके खंड 46 से भिन्न] और ऐसे दावे की रकम	हां/नहीं	रकम रुपये में
46.		क्या लेखापरीक्षिती ने पूर्व वर्ष के दौरान धारा 269धध में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक कोई ऋण या जमा या कोई विनिर्दिष्ट राशि ली या स्वीकार की है?	हां/नहीं	रकम रुपये में (यदि हाँ, तो अनुसूची 269धध भरें)
47.		क्या लेखापरीक्षिती ने एक दिन में एक व्यक्ति से धारा 269धन में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक रकम प्राप्त की है; या एकल संव्यवहार के संबंध में; या पूर्व वर्ष के दौरान एक व्यक्ति से एक घटना या अवसर से संबंधित लेनदेन के संबंध में?	हां/नहीं	रकम रुपये में (यदि हाँ, तो अनुसूची 269धन भरें)
48.		क्या लेखापरीक्षिती ने पूर्व वर्ष के दौरान धारा 269न में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक कोई ऋण या जमा या किसी विनिर्दिष्ट अग्रिम रकम पुनर्संदत्त की है	हां/नहीं	रकम रुपये में (यदि हाँ, तो अनुसूची 269 न भरें)
49.		क्या लेखापरीक्षिती ने अध्याय XVII-ख या अध्याय XVII-खख के उपबंधों के अनुसार कोई कर संग्रहण या कटौती अपेक्षित है?	हां/नहीं	(यदि हाँ, तो टीडीएस/टीसीएस अनुसूची /टीडीएस/टीसीएस का विवरण /टीडीएस/टीसीएस पर यथालागू ब्याज

प्ररूप 10 ख (अनुदेश देखें) यथालागू अनुसूचियां भरी जाएं

अनुसूची कॉर्पस: कॉर्पस के ब्यौरे											
कोष दान का प्रकार	पूर्व वर्ष के आरंभ में अतिशेष (पूर्व वर्ष के आरंभ तक कॉर्पस लागू नहीं) (1)	पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त/मानित कॉर्पस (2)	पूर्व वर्ष के दौरान लागू (3)	कॉर्पस में पुनः जमा या निक्षेपित रकम (जो पूर्व में आवेदित थी परंतु जिसका दावा नहीं किया गया था यदि ऐसा आवेदन शर्तें पूरी करता हो (4)	कॉर्पस में पुनः जमा या निक्षेप की कुल रकम (5)	वित्तीय वर्ष जिसमें (4) पहले लागू किया गया था (6)	अंतिम अतिशेष (7) [(1+2+5)-3]	धारा 11(5) में निर्दिष्ट मोड में निक्षेप (8)	पूर्व निर्धारण वर्ष में कर लगाई गई रकम (9)	पूर्ववर्ष के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट से भिन्न मोड में निक्षेप (10)	यदि कॉर्पस दान (1) प्रकार का है तो क्या वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है
											कॉर्पस उस उद्देश्य से भिन्न कॉर्पस में से उपयोगित रकम जिसके लिए वैयक्तिक अभिदाय किया गया था। किसी व्यक्ति को अभिदाय या दान, किसी व्यक्ति को दान या अभिदाय पृथक रूप से पहचान नहीं किए जाने वाले रूप में रखा गया। धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट से भिन्न प्ररूपों और मोडों में निक्षेप या जमा
(I) 01.04.2020 को या उसके पश्चात् 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित स्थानों के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान का प्रतिनिधित्व करता है											हां/नहीं हां/नहीं हां/नहीं हां/नहीं

[illegible]

अनुसूची डीआई : धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के अधीन माने गए आवेदन और धारा 11 की उपधारा (1ख) के अधीन मानी गई आय के ब्यौरे									
वर्ष, जिसमें आय को लागू माना जाता है (वि.व.)	प्ररूप 9क में दी गई तारीख (दिदि/मामा/वव)	स्तंभ 1 में निर्दिष्ट पूर्ववर्ष के दौरान लागू मानी गई राशि	आवेदन माने जाने का कारण (क) उस वर्ष के दौरान प्राप्त न की गई आय (ख) कोई अन्य कारण	पहले से दावा किए गए माने गए आवेदन में से, आवेदन करने के लिए आवश्यक रकम	स्तंभ (5) में निर्दिष्ट रकम में से किसी पूर्व निर्धारण वर्ष में कर लगाई गई रकम (अनुसूची डीए भरें)	दावा किए गए आवेदन में से, वर्तमान निर्धारण वर्ष से संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान लागू की जाने वाली रकम	पूर्ववर्ष में दावा किए गए माने गए आवेदन की रकम, वर्तमान निर्धारण वर्ष से संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान लागू	रकम, जिसे लागू नहीं किया जा सकता था और पूर्ववर्तीवर्ष के दौरान धारा 11(1ख) के अधीन आय के रूप में माना गया था	माने गए आवेदन की शेष रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)-(6)	(8)	(7)-(8) = (9)	(5)-(7) = (10)
ड्रापडाउन उपलब्ध कराए जाएंगे			ड्रापडाउन उपलब्ध कराए जाएंगे						

अनुसूची डीए: धारा 11 की उप-धारा (1ख) के अनुसार पूर्व निर्धारण वर्षों में संचित आय पर लगाए गए कर का ब्यौरा					
	निर्धारण वर्ष, जिसमें अनुसूची डीआई के स्तंभ (4) में यथा निर्दिष्ट आय पर कर लगाया गया था विद्यमान पूर्ववर्ष से पहले के पूर्ववर्ष से प्रारंभ होने वाले विगत पांच पूर्ववर्ष				
संचयन वर्ष (वि.व.) विद्यमान पूर्ववर्ष से प्रारंभ होने वाले अंतिम पांच पूर्ववर्षों के लिए ड्रापडाउन उपलब्ध कराए वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष
योग					

अनुसूची एसी : संचयन के ब्यौरे																
क्र. सं.	संचयन का वर्ष (वि. व.)	प्ररूप 10 प्रस्तुत करने की तारीख दिदि/मामा/वववव	संचयन वर्ष में संचयित रकम	संचयन का प्रयोजन	पूर्ववर्ष के प्रारंभ तक खैराती या धार्मिक प्रयोजनों के लिए लागू रकम	उपयोजित अतिशेष (3)-(5)	किसी पूर्व निर्धारण में कर ली गई रकम (अनुसूची एसीए भरें)	आवेदन के लिए उपलब्ध अतिशेष (6)-(7)	पूर्ववर्ष संचयन में से पूर्ववर्ष के दौरान खैराती या धार्मिक प्रयोजनों के लिए लागू रकम	जिस प्रयोजन के लिए इस तरह का संचयन किया गया था, उसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए लागू रकम (यदि लागू हो)	धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या (vii) के अधीन अनुमोदित किसी	आवेदन के लिए उपलब्ध अतिशेष रकम (8) - (9) - (10) - (11)	(12) में से धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट रीति में विनिधित या जमा की गई रकम	(12) में से धारा 11(5) में से अन्यथा विनिर्दिष्ट रीति में विनिधित या जमा की गई रकम (यदि लागू हो)	रकम, जो संचयन की अवधि के दौरान उपयोग नहीं की गई है (यदि लागू हो)	धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन मानी जाने वाली आय की रकम (यदि लागू हो) (10)+(11)+(14)+(15)

											न्यास या संस्था को प्रत्ययि त या संदत्त रकम (यदि लागू हो)					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	अंतिम सात वित्तीय वर्षों के लिए ड्रापडा उन उपलब्ध कराए योग															

अनुसूची एसीए: धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन पूर्व निर्धारण वर्षों में कर लगाई गई संचित आय के ब्यौरे

संचयन का वर्ष (वि.व.)	निर्धारण वर्ष, जिसमें इस रकम पर कर लगाया गया था विद्यमान पूर्ववर्ष से पूर्वतः पूर्ववर्ष से प्रारंभ होने वाले अंतिम पांच पूर्ववर्ष का ड्रापडाउन उपलब्ध कराए				
	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष	वर्ष - वर्ष
वर्तमान पूर्ववर्ष से प्रारंभ होने वाले अंतिम पांच पूर्ववर्षों के लिए ड्रापडाउन उपलब्ध कराए वर्ष - वर्ष					
योग					

अनुसूची एसपी-क: क्या संपरीक्षित की आय या संपत्ति का कोई भाग पूर्ववर्ष के दौरान निर्दिष्ट व्यक्ति को दिया गया है, या दिया जाना जारी है ?

क्र.सं.	निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	निर्दिष्ट व्यक्ति का स्थायी खाता संख्यांक	विवरण उधार दी गई आय या संपत्ति की प्रकृति	रकम, जिसके लिए आय या संपत्ति पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति को उधार दी गई है या उधार दिया जाना जारी है	सुरक्षा का विवरण सुरक्षा की प्रकृति	सुरक्षा का मूल्य	पर्याप्त सुरक्षा का मूल्य	व्याज का विवरण व्याज की वास्तविक दर, जो भारत की जाती है	व्याज की पर्याप्त दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

अनुसूची एसपी-ख : संपरीक्षित की भूमि, भवन या अन्य संपत्ति का विवरण, जो पूर्ववर्ष के दौरान निर्दिष्ट व्यक्ति के उपयोग के लिए पूर्ववर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया है या जारी है :

क्र.सं.	निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	निर्दिष्ट व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या	आस्ति का विवरण		अवधि, जिसके लिए आस्ति पूर्ववर्ष के दौरान निर्दिष्ट व्यक्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई है, या बनी हुई है		पूर्ववर्ष के किराए का विवरण		पूर्ववर्ष के लिए अन्य प्रतिकर का विवरण		
			संपत्ति की प्रकृति	पता	से दिदि/मामा/वव	तक दिदि/मामा/वव	किराए की रकम	पर्याप्त किराया	प्रकृति	प्रतिकर की रकम	पर्याप्त प्रतिकर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<भूमि/ भवन/								

			अन्य संपत्ति>								

अनुसूची एसपी-ग : पूर्ववर्ष के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए संपरीक्षित के संसाधनों में से निर्दिष्ट व्यक्ति को भुगतान किए गए वेतन, भत्ते या अन्यथा का विवरण

क्र.सं.	निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	निर्दिष्ट व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या	निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रकृति	पूर्ववर्ष के संदाय का ब्यौरा भुगतान की प्रकृति	संदाय की रकम (रुपये में)	सेवाओं के लिए उचित रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				< वेतन/भत्ता/अन्यथा (कृपया निर्दिष्ट करें)>		

अनुसूची एसपी-घ : पूर्ववर्ष के दौरान संपरीक्षित की सेवाओं का ब्यौरा निर्दिष्ट व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाता है ?

क्र.सं.	निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	निर्दिष्ट व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या	सेवाओं का ब्यौरा		पूर्ववर्ष के पारिश्रमिक का ब्यौरा		पूर्ववर्ष के प्रतिकर का ब्यौरा		
			उपलब्ध कराई गई सेवाओं की प्रकृति	उपलब्ध कराई गई सेवाओं का मूल्य (रुपये में)	सेवा के लिए पारिश्रमिक वास्तविक रकम	सेवा के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक	सेवा के लिए प्रतिकर की प्रकृति	सेवा के लिए प्रतिकर की वास्तविक रकम	पर्याप्त मुआवजा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

अनुसूची एसपी-ङ 1: पूर्ववर्ष के दौरान निर्दिष्ट व्यक्ति से संपरीक्षित द्वारा या उसकी ओर से खरीदा गया किसी शेयर, प्रतिभूति का ब्यौरा है ?

क्र.सं.	निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	निर्दिष्ट व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या	खरीदी गई संपत्ति की प्रकृति	शेयर या प्रतिभूति का ब्यौरा					अन्य चल संपत्ति का ब्यौरा				
				उस कंपनी/ संस्था का नाम, जिसके शेयर खरीदे गए हैं	पूर्व-वर्ष के दौरान खरीदे गए शेयरों की संख्या	प्रत्येक शेयर/ प्रतिभूति की कीमत	शेयर या प्रतिभूति में संदत्त कुल प्रतिफल	शेयर या प्रतिभूति के लिए पर्याप्त कुल प्रतिफल	संपत्ति की प्रकृति	खरीदी गई संपत्ति की संख्या	संपत्ति की कीमत	पूर्ववर्ष के दौरान संपत्ति के लिए संदत्त कुल प्रतिफल	पर्याप्त प्रतिफल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				<शेयर/ प्रतिभूति/ अन्य संपत्ति >									

अनुसूची एसपी - ङ 2 : अन्य चल संपत्ति की दशा में ब्यौरे

क्र.सं.	निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	निर्दिष्ट व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या	आस्ति का प्रकार	संपत्ति का पता	क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)	स्टैप शुल्क मूल्य	प्रतिफल का ब्यौरा	
							आस्ति के लिए संदत्त प्रतिफल की रकम	आस्ति के लिए पर्याप्त प्रतिफल
			< भूमि/ आवासीय/ वाणिज्यिक संपत्ति आदि >					

अनुसूची एसपी - च1 :- किसी शेयर, सुरक्षा का विवरण पिछले वर्ष के दौरान किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को न्यास या संस्था द्वारा या उसकी ओर से किए गए विक्रय ?

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का पैन	विक्रय की गई संपत्ति की प्रकृति	शेयर या सुरक्षा का विवरण					चलायमान अन्य संपत्ति का विवरण				
				उस कंपनी का नाम या कंपनी जिसके शेयर विक्रय	पिछले वर्ष के दौरान विक्रय किए गए शेयरों	प्रत्येक शेयर या प्रतिभूति की कीमत	कुल प्रतिफल शेयर/ सुरक्षा	शेयर या सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रतिफल	चल संपत्ति की प्रकृति	विक्रय की गई चल संपत्तियों की संख्या	चल संपत्ति की कीमत	पिछले वर्ष के दौरान संपत्ति के लिए कुल	पर्याप्त प्रतिफल

				किए जाते हैं	की संख्या								प्रतिफल	
			< शेयर / सुरक्षा / अन्य संपत्ति >											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	

अनुसूची एसपी - च 2: अन्य संपत्ति के अचल होने के मामले में विवरण:

क्र. सं.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पैन	आस्ति का प्रकार	आस्ति का पता	क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)	स्टाम्प ड्यूटी मूल्य	विचार का विवरण	
							आस्ति के लिए प्रतिफल की राशि	आस्ति के लिए पर्याप्त प्रतिफल
			< भूमि/आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति आदि>					

अनुसूची एस पी - छ: किसी भी आय या संपत्ति का विवरण जो पिछले वर्ष के दौरान किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के पक्ष में अपयोजन किया गया है

क्र. सं.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम जिसके पक्ष में आय या संपत्ति का अपयोजन किया गया है	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पैन	अपयोजित की गई आय या संपत्ति का विवरण	
			आय या संपत्ति की प्रकृति जिसे अपयोजित किया जाता है	आय या संपत्ति का मूल्य जो अपयोजित किया जाता है (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुसूची ज : किसी भी निधि का विवरण जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समुत्थान में विनिधान किया गया है, या बना हुआ है, जिसमें निर्दिष्ट व्यक्ति का पर्याप्त व्याज है

क्र. सं.	उस समुत्थान का विवरण जिसमें निधि विनिधान किए जाते हैं, या बने रहते हैं							पर्याप्त व्याज का विवरण		
	समुत्थान का विवरण जिसमें निधि विनिधान करना जारी रखते हैं	समुत्थान का नाम	समुत्थान का पता	ऐसी राशि जो वर्ष के दौरान समुत्थान में विनिधान की जाती है या बनी रहती है (रुपये में)	पिछले वर्ष के दौरान विनिधान की अवधि	विनिधान की प्रकृति	वर्ष के दौरान विनिधान से आय	समुत्थान में पर्याप्त व्याज रखने वाले विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का पैन	पर्याप्त व्याज की प्रकृति
	< कंपनी / अन्य >									

अनुसूची अन्य विधि उल्लंघन

क्र. सं.	विधि का नाम जिसके अधीन गैर-अनुपालन उद्भूत हुआ है	अननुपालन की प्रकृति	आदेश, निर्देश या डिक्री की तारीख, यह मानते हुए कि ऐसा अननुपालन हुआ है	क्या आदेश, निर्देश या डिक्री, किसी भी न्यायालय या अपीलीय मंच के समक्ष विवादित रहा है	यदि हां, तो क्या विवाद को अंतिम रूप दिया गया है	क्या संपरीक्षिती के पक्ष में विवाद को अंतिम रूप दिया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूची टीडीएस को नामंजूर किया जा सकता है: धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (झक) के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के त्तरहवें परंतुक या धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन अनुमेय राशि को नामंजूर किया जा सकता है:

(क) भुगतान का विवरण जिस पर कर की कटौती नहीं की जाती है

भुगतान की तारीख ता/माह/वर्ष	भुगतान की राशि (रुपए में)	भुगतान की प्रकृति	पाने वाले का नाम	यदि उपलब्ध हो तो पाने वाले का पैन या आधार	पाने वाले का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(ख) भुगतान का विवरण जिस पर कर कटौती की गई है किंतु धारा 139 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले भुगतान नहीं किया गया है							
भुगतान की तारीख ता/माह/वर्ष	भुगतान की राशि (रुपए में)	भुगतान की प्रकृति	पाने वाले का नाम	यदि उपलब्ध हो तो पाने वाले का पैन या आधार	पाने वाले का पता	कटौती की गई कर की राशि	जमा की गई (7) राशि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

अनुसूची 40क(3): धारा 40 क की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 10 के खंड (23 ग) के तहत परंतु या धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के अधीन राशि का विवरण नामंजूर किया जा सकता है।						
क्र. सं.	भुगतान की तारीख	भुगतान की राशि (रुपए में)	भुगतान की प्रकृति (रुपए में)	पाने वाले का विवरण		
				नाम	पैन या आधार, यदि उपलब्ध हो	पता

अनुसूची 40क(3क): धारा 40 क की उप-धारा (3 क) के साथ पठित धारा 10 (23 ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन नामंजूर राशि का विवरण						
क्र. सं.	भुगतान की तारीख	राशि	प्रकृति	पाने वाले का विवरण		
				नाम	पैन या आधार, यदि उपलब्ध हो	पता

[illegible][illegible][illegible]

अनुसूची टीडीएस/टीसीएस									
कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन)	धारा	भुगतान की प्रकृति	स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के भुगतान या प्राप्ति की कुल राशि	कुल राशि जिस पर कर की कटौती करना आवश्यक था या (4) में से एकत्र किया जाना आवश्यक था	कुल राशि जिस पर कर की कटौती की गई थी या विनिर्दिष्ट दर पर एकत्र किया गया था	(6) में से कटौती किए गए या एकत्रित कर की गई राशि	कुल राशि जिस पर कर की कटौती की गई या (7) में से विनिर्दिष्ट दर से कम पर एकत्र किया गया।	(8) पर कटौती किए गए या एकत्र किए गए कर की राशि	कटौती किए गए या एकत्रित किए गए किंतु (6) और (8) में से कर की राशि केंद्रीय सरकार के क्रेडिट में जमा नहीं की गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

अनुसूची टीडीएस/टीसीएस का विवरण				
कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन)	प्ररूप का प्रकार	प्रस्तुत करने की नियत तारीख	यदि प्रस्तुत किया गया है, तो प्रस्तुत करने की तारीख	क्या कटौती किए गए गए या एकत्र किए गए कर के विवरण में उन सभी लेनदेन के बारे में जानकारी है जिन्हें रिपोर्ट करना आवश्यक है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुसूची टीडीएस/टीसीएस पर ब्याज			
कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन)	धारा 201 (1 क) या 206 ग (7) के अधीन ब्याज की राशि देय है।	स्वभ से भुगतान की गई राशि (2)	भुगतान की तारीख ता/माह/वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)

प्ररूप 10ख के लिए टिप्पण

- अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), (v), (vi) या (vिक) में निर्दिष्ट कोई निधि या संस्थान या न्यास या कोई विश्वविद्यालय या अन्य चिकित्सा संस्थान या अधिनियम की धारा 11 या धारा 12 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्थान इस प्ररूप में "संपरीक्षिती" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;
- धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति को इस प्ररूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;
- *क्रम संख्या 6 में, वह पता प्रदान करें जो प्रबंधन द्वारा एक संकल्प के माध्यम से विनिश्चय किया गया है और जिसे नियम 17क के उप-नियम (3) के परंतुक के अनुसार ऐसे समाधान के सात दिनों के भीतर लिखित में क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी को सूचित किया गया है;
- **क्रम संख्या 9 में, उस धारा के लिए जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत या अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत या अनुमोदित या अनंतिम रूप से अनुमोदित है, निम्नलिखित कोडों में से एक का चयन किया जाएगा (सभी रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन या अनंतिम अनुमोदन या अधिसूचना का विवरण जो पिछले वर्ष के दौरान मान्य हैं, उपबंध किया जाना चाहिए, तथापि जहां संपरीक्षिती को रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन मिला है, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के बाद अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है:

क्र. सं.	धारा	कोड
(1)	अधिनियम की धारा 12कख की उप-धारा (1) का खंड (क)	1
(2)	अधिनियम की धारा 12कख की उप-धारा (1) का खंड (ख)	2
(3)	अधिनियम की धारा 12कख की उप-धारा (1) का खंड (ग)	3
(4)	अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक का खंड (i)	4
(5)	अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक का खंड (ii)	5
(6)	अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परंतुक का खंड (iii)	6
(7)	अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) का खंड (ii)	7
(8)	अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (iिक)	8
(9)	अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) का खंड (iii)	9
(10)	अधिनियम की धारा 80छ की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक का खंड (i)	10
(11)	अधिनियम की धारा 80छ की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक का खंड (ii)	11
(12)	अधिनियम की धारा 80छ की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक का खंड (iii)	12
(13)	कोई अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	13

5. # पंक्ति 10 (क) में, स्तंभ (2) में संबंध के लिए निम्नलिखित कोडों में से एक या अधिक का चयन किया जाएगा

क्र. सं.	धारा	कोड
(1)	लेखक	1
(2)	संस्थापक	2
(3)	व्यवस्थापक	3
(4)	न्यासी	4
(5)	समाज के सदस्य	5
(6)	शासी परिषद के सदस्य	6
(7)	निदेशक	7
(8)	शेयरधारकों के पास 5% या अधिक शेयरधारिता है	8
(9)	पदाधिकारी	9
(10)	अन्य	10

6. ##क्रम संख्या 10 (क), स्तंभ (5) में, और क्रम संख्या 10 (ख) में, स्तंभ (4) में, आईडी कोड के स्थान पर निम्नलिखित भरा जाना चाहिए:

(क) यदि पैन या आधार नंबर उपलब्ध है, तो इसे आज्ञापक रूप से भरा जाना चाहिए और निम्नलिखित आईडी कोड भरा जाना चाहिए:

पहचान का प्रकार	कोड
पैन	1
आधार संख्या	2

(ख) यदि न तो पैन या आधार उपलब्ध है, तो निम्नलिखित में से एक भरा जाना चाहिए:

पहचान का प्रकार	कोड
देश की करदाता पहचान संख्या व्यक्ति कहाँ रहता है;	3
पासपोर्ट संख्या;	4
निर्वाचक की फोटो पहचान संख्या	5
चालक विज्ञप्ति संख्या	6
राशन कार्ड संख्या	7

7. \$ क्रम संख्या 11 में, संपरीक्षिती के उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित विकल्पों में से एक या अधिक का चयन किया जाएगा:

क्र. सं.	वस्तु	कोड
(1)	धार्मिक	1
(2)	निर्धन को अनुतोष	2
(3)	शिक्षा	3
(4)	चिकित्सा अनुतोष	4
(5)	योग	5
(6)	पर्यावरण का संरक्षण (वाटर-शेड, वन और वन्यजीव सहित)	6
(7)	संस्मारकों या कला अथवा ऐतिहासिक रुचि के स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण	7
(8)	सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किन्हीं अन्य वस्तुओं का संवर्द्धन	8

8. \$\$ क्रम संख्यांक 14(ii) के स्तंभ (2) में, एक या अधिक कोड का चयन किया जाएगा :

क्र.सं.	नियम 17क में दिए गए अनुसार लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों की प्रकृति	कोड
(1)	रोकड़ बही	1
(2)	खाता बही	2
(3)	जर्नल	3
(4)	बिलों की प्रतियाँ, चाहे मशीन संख्यांकित हों या अन्यथा क्रमांकित हों, जहाँ कहीं भी ऐसे बिल निर्धारिती द्वारा जारी किए जाते हैं, और निर्धारिती द्वारा जारी किए गए मशीन क्रमांकित या अन्यथा क्रमांकित रसीदों की प्रतियाँ या काउंटरफॉइल	4
(5)	मूल बिल, जहाँ कहीं व्यक्ति को जारी किए गए और व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतानों के संबंध में रसीदें	5

(6)	कोई अन्य बही, जिसे व्यक्ति के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने और किए गए संव्यवहारों को स्पष्ट करने के लिए बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है	6
(7)	अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कारबार उपक्रम के लिए क्रम संख्यांक 1 से 6 में यथानिर्दिष्ट लेखा बही	7
(8)	अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कारबार उपक्रम से भिन्न निर्धारिती द्वारा किए गए कारबार के लिए, क्रम संख्यांक 1 से 6 में यथानिर्दिष्ट लेखा बही	8
(9)	व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही सभी परियोजनाओं और संस्थाओं का अभिलेख, जिसमें उनके नाम, पते और प्रयोजनों का विवरण हो	9
(10)	नियम 17क(1)(घ)(ii) के अनुसार पूर्ववर्ष के दौरान व्यक्ति की आय का अभिलेख	10
(11)	नियम 17क(1)(घ)(iii) के अनुसार पूर्ववर्ष के दौरान आय में से आय आदि के उपयोजन का अभिलेख	11
(12)	नियम 17क(1)(घ)(iv) के अनुसार वर्तमान पूर्ववर्ष से पहले के किसी पूर्ववर्ष की आय में से आय के उपयोजन का अभिलेख	12
(13)	नियम 17क(1)(घ)(v) के अनुसार विनिर्दिष्ट निर्देश के साथ कि वे समग्र निधि का भाग होंगे, किए गए स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख	13
(14)	धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या अन्य स्थान के नवीनीकरण या मरम्मत के प्रयोजन के लिए प्राप्त अभिदाय का अभिलेख, जिसे नियम 17क(1)(घ)(vi) के अनुसार समग्र निधि के रूप में माना जा रहा है	14
(15)	नियम 17क(1)(घ)(vii) के अनुसार ऋण और उधार का अभिलेख	15
(16)	नियम 17क(1)(घ)(viii) के अनुसार संपत्तियों का अभिलेख	16
(17)	नियम 17क(1)(घ)(ix) के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्तियों का अभिलेख	17
(18)	नियम 17क(1)(घ)(x) के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज, जिनमें कोई अन्य सुसंगत जानकारी अंतर्विष्ट हो।	18

9. ^क्रम संख्यांक 17(ii)(ग) और 18(ii)(ग) में, कारबार उपक्रम या प्रयोजनों के आनुपंगिक कारबार के लिए यथा अनुयोज्य प्ररूप 3गक या 3गख में तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा संपरीक्षा रिपोर्ट अपलोड करें (अपलोड सुविधा ई-फाइलिंग उपयोगिता प्रदान करेगी)।
10. + आयकर नियम, 1962 के नियम 6ककखक में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक ढंग निम्नलिखित ढंग होंगे :
- क. क्रेडिट कार्ड ;
- ख. डेबिट कार्ड ;
- ग. नेट बैंकिंग ;
- घ. आईएमपीएस (तत्काल संदाय सेवा) ;
- ङ. यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) ;
- च. आरटीजीएस (रियल टाइम ग्राँस सेटलमेंट) ;
- छ. एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) ; और
- ज. भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) आधार पे ;

11. ^^क्रम संख्यांक 41 में, विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लिए निम्नलिखित एक या अधिक कोड का चयन करें :

क्र.सं.	व्यक्ति की प्रकृति	कोड
(1)	न्यास का लेखक या संस्था का संस्थापक ;	1
(2)	कोई भी व्यक्ति, जिसने न्यास या संस्था को पर्याप्त अभिदाय किया है, अर्थात् कोई भी व्यक्ति, जिसका सुसंगत पूर्ववर्ष के अंत तक कुल अभिदाय पचास हजार रुपये से अधिक है;	2
(3)	जहां ऐसा लेखक, संस्थापक या व्यक्ति एक हिंदू अविभक्त कुटुंब है, कुटुंब का सदस्य है;	3
(4)	संस्था के किसी न्यास का न्यासी या प्रबंधक (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) ;	4
(5)	पूर्वोक्त किसी भी ऐसे लेखक, संस्थापक, व्यक्ति, सदस्य, न्यासी या प्रबंधक का कोई नातेदार ;	5
(6)	कोई भी समुत्थान, जिसमें ऊपर निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी का पर्याप्त हित है।	6

12. किसी सरकारी कंपनी, बैंककारी कंपनी, डाक घर वचत बैंक द्वारा प्राप्ति या उसको संदाय की दशा में या धारा 269धध में निर्दिष्ट संव्यवहारों की दशा में या अधिसूचना सं0 का.आ. 2065(अ), तारीख 3 जुलाई, 2017 में निर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में, अनुसूची 269धध में विशिष्टियां दिए जाने की आवश्यकता नहीं है ;

5. मूल नियम में, प्ररूप सं0 10खख के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

‘प्ररूप सं. 10खख

[नियम 16गग और नियम 17ख देखिए]

किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की दशा में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परंतुक के खंड (ख) और धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट, जिसे धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परंतुक के खंड (ख) या किसी न्यास या संस्था, जिसे धारा 12क के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

*मैंने/हमने [निधि या न्यास या संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान का नाम] के तुलन पत्र की के रूप में परीक्षा कर ली है और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय खाते या लाभ और हानि खाता उक्त निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था द्वारा रखे गए खाते बहियों के अनुरूप है।

*मैंने/हमने *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं।

*मेरी/हमारी राय में, उपाबंध की पंक्ति 11 में उल्लिखित पते पर उपरोक्त नामित निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में खाता बहियों का उचित रखरखाव किया गया है:

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपाबंध में दिए गए विवरण सत्य और सही हैं, जो निम्नलिखित टिप्पणियों या विशेषताओं के अधीन हैं, यदि कोई हो-

(क)

(ख).....

(ग)

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, और *मुझे/हमें दी गई जानकारी के अनुसार, उक्त खाते निम्नलिखित मामलों में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं-

(i) तुलन पत्र के मामले में, ऊपर नामित * निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के मामलों की स्थिति _____ को; और

(ii) आय और व्यय खाते या लाभ और हानि खाते के मामले में, को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष में उसकी आय और उपयोजन /लाभ या हानि।

निम्नलिखित टिप्पणियों/योग्यताओं के अधीन-

(क)

(ख)

(ग)

विहित विशिष्टियां इसके साथ संलग्न हैं।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षरित लेखाकार †

नाम

सदस्यता संख्या

पता

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो उसे काट दें।

2. † यह रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत - एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जानी है।

3. जहां इस रिपोर्ट में बताए गए किसी भी मामले का नकारात्मक या विशेषता के साथ उत्तर दिया जाता है, तो रिपोर्ट में उसके कारण बताए जाएंगे।

उपाबंध विशिष्टियों का कथन										
मूल विवरण	1.	लेखापरीक्षिता का पीएएन						A B C D E 1 2 3 4 F		
	2.	लेखापरीक्षिता का नाम								
	3.	निर्धारण वर्ष								
	4.	पूर्व वर्ष						d d m m y y y y से d d m m y y y y		
	5.	लेखापरीक्षिता का रजिस्ट्रीकृत पता								
	6.	अन्य पते, यदि लागू हों						< टिप्पण निर्दिष्ट करें * >		
विधिक	7.	लेखापरीक्षिता का प्रकार						न्यास ☐ सोसाइटी ☐ कम्पनी ☐ अन्य ☐		
	8.	क्या लेखापरीक्षिता किसी लिखत के अधीन गठित है ?						हाँ / नहीं		
प्रबंधन	9.	(क) सभी लेखकों/संस्थापकों/सेटलर/न्यासियों/सोसाइटी के सदस्यों/शासी परिषद के सदस्यों/निदेशक/शेयरधारकों के 5% या अधिक शेयरधारिता का विवरण / पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय लेखापरीक्षिता के पदाधिकारी								
		व्यक्ति का नाम	सम्बन्ध < टिप्पण निर्दिष्ट करें ## >	शेयरधारक की दशा	विशिष्ट पहचान संख्या	आई डी कोड < टिप्पण निर्दिष्ट करें ### >	पता	संपरीक्षा के पूर्व वर्ष के दौरान सम्बन्ध में क्या कोई परिवर्तन हुआ है ? हाँ / नहीं	यदि हाँ, तो परिवर्तन विनिर्दिष्ट करें	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		(ख) [पंक्ति 9(क) में यथा उल्लिखित] किसी व्यक्ति के व्यष्टिक न होने की दशा में, पूर्व वर्ष के दौरान प्राकृतिक व्यक्तियों के निम्नलिखित व्यौरे प्रदान करें, जो इसे व्यक्ति के (5% या अधिक) फायदाग्राही स्वामी हैं								
		क्र. सं.	नाम	विशिष्ट पहचान संख्या	आई डी कोड < टिप्पण निर्दिष्ट करें ### >	पता	[पंक्ति 9(क) में यथा उल्लिखित] कोई गैर व्यष्टिक व्यक्ति, जिसमें फायदाग्राही स्वामित्व धारित है	फायदाग्राही स्वामित्व का प्रतिशत	संपरीक्षा के पूर्व वर्ष के दौरान क्या कोई परिवर्तन हुआ है हाँ / नहीं	यदि हाँ, तो परिवर्तन विनिर्दिष्ट करें
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
गतिविधियों की शुरुआत	10.	(i)	जहां लेखापरीक्षिता को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है, क्या क्रियाकलाप पूर्व वर्ष के दौरान आरम्भ हुए हैं						हाँ / नहीं	
		(ii)	यदि 10 (i) में हाँ है तो, क्रियाकलापों के आरम्भ होने की तारीख						d d m m y y y y	
		(iii)	यदि 10(i) का उत्तर हाँ है, तो क्या धारा 12क की उप-धारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (iv) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उपयोजन या धारा 10 के खंड (23ग) पहले परंतुक के खंड (iii) के अधीन अनुमोदन फाइल किया गया है?						हाँ / नहीं	
		(iv)	यदि 10(iii) में हाँ है तो, रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के लिए उपयोजन की तारीख						d d m m y y y y	
स्थान के व्यौरे जहाँ लेखा बहियाँ और अन्य दस्तावेज रखे जाते हैं	11.	(i)	क्या लेखा बहियाँ और अन्य दस्तावेजों को लेखापरीक्षिता द्वारा नियम 17क के अधीन यथा विहित प्ररूप और रीति में और ऐसे स्थान पर रखा और बनाए रखा गया है?						हाँ / नहीं	
		(ii)	यदि उपरोक्त (i) हाँ है, तो क्या लेखा बहियाँ का रखरखाव रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में किया जाता है?						हाँ / नहीं	
		(iii)	यदि ऊपर (ii) में नहीं है, तो रजिस्ट्रीकृत स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान के बारे में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें जहाँ लेखा बहियाँ रखी जाती हैं							
		(क)	ऐसे स्थान का पता जहाँ बहियाँ रखी जाती हैं							
		(ख)	प्रबंधन द्वारा ऐसे स्थान पर खाता रखने के निर्णय की तारीख						dd/mm/yyyy	
		(ग)	नियम 17क के उप-नियम (3) के परंतुक के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी को सूचना देने की तारीख कि खाते ऐसे स्थान पर रखे गए हैं						dd/mm/yyyy	

स्वैच्छिक अभिदाय	12.	क्या लेखापरीक्षिती ने पूर्व वर्ष के लिए प्ररूप संख्या 10खघ दाखिल किया है <यदि नहीं तो क्रमांक 14 पर जाएं>			हाँ /नहीं
	13.	पूर्व वर्ष के लिए लेखापरीक्षिती द्वारा प्रस्तुत प्ररूप सं. 10 खघ में प्रस्तुत दान का कुल योग			(रकम रुपए में)
	14.	दान प्ररूप संख्या 10 खघ में रिपोर्ट नहीं किया गया है/ प्ररूप संख्या 10 खघ भरने की आवश्यकता नहीं है			रकम रुपए में
	15.	पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती द्वारा प्राप्त कुल स्वैच्छिक अभिदाय [13+14]			रकम रुपए में
	16.	15 में बताया गया कुल स्वैच्छिक अभिदाय में से कुल विदेशी अभिदाय			रकम रुपए में
	17.	समग्र निधि का हिस्सा बनने वाला स्वैच्छिक अभिदाय (जो 15 में शामिल हैं)			रकम रुपए में
	18.	बेनामी दान धारा 115खखग के अधीन 30% की दर से कराधेय है			रकम रुपए में
	19.	भारत के बाहर उपयोजन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया गया है			रकम रुपए में
	20.	पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती द्वारा उपयोजन के लिये अपेक्षित स्वैच्छिक अभिदाय [15-(17+18+19)]			रकम रुपए में
		21.	धारा 11 में निर्दिष्ट न्यास के अधीन धारित संपत्ति से प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय से भिन्न अन्य आय या क्रम संख्यांक15 में रिपोर्ट किए गए अभिदाय से भिन्न निधि या संस्था या ट्रस्ट या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की आय		
22.		पूर्व वर्ष के दौरान लेखापरीक्षिती द्वारा भारत में उपयोजन के लिए अपेक्षित आय [20+21]			रकम रुपए में
आय का उपयोजन	23.	आय का उपयोजन (क्रम संख्या 27 के अधीन अपात्र और रिपोर्ट किया गया उपयोजन को छोड़कर)			
	(i)	पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजित कुल रकम			रकम रुपए में
	(ii)	रकम जो वास्तव में पूर्व वर्ष के दौरान संदाय नहीं की गई थी [यदि (i) में शामिल है]			रकम रुपए में
	(iii)	पूर्व वर्ष के दौरान वास्तव में संदाय की गई रकम जो किसी भी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित हुई थी लेकिन पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष में आय के उपयोजन के रूप में दावा नहीं की गई थी			रकम रुपए में
	(iv)	उपयोजन के रूप में स्वीकृत की जाने वाली कुल रकम [23(i)- 23(ii) +23(iii)]			रकम रुपए में
	(v)	समग्र निधि में निवेश की गई या वापस जमा की गई रकम जिसे किसी भी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित किया गया था और उस पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजन के रूप में दावा नहीं किया गया था			रकम रुपए में <>
	(vi)	पूर्व वर्ष के दौरान ऋण या उधार का पुनःसंदाय जो पहले उपयोजित किया गया था और उस पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजन के रूप में दावा नहीं किया गया था			रकम रुपए में
	उपयोजन से अननुज्ञात की जाने वाली रकम				
	(vii)	धारा 10 के खंड (23 ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 40 के खंड (क) के उप-खंड (झक) के साथ पठित धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के अधीन अननुज्ञेय रकम			रकम रुपए में < अनुसूची टीडीएस अननुज्ञात भरें >
	(viii)	धारा 10(23ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 40क की उप-धारा (3) या (3क) के साथ पठित धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के अधीन अननुज्ञेय रकम ,			रकम रुपए में < अनुसूची 40क (3)/ अनुसूची 40क(3क) भरें >
	(ix)	अधिनियम की धारा 10के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viंक) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को या अधिनियम की धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था को समग्र निधि के लिए दान			रकम रुपए में
	(x)	अधिनियम की धारा 10के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viंक) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को या अधिनियम की धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था को दान जिसके वही उद्देश्य नहीं हैं			रकम रुपए में
	(xi)	अधिनियम की धारा 10के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viंक) में निर्दिष्ट किसी भी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को या अधिनियम की धारा 11 या 12 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था को दान से भिन्न किसी व्यक्ति को दान			रकम रुपए में
	(xii)	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के प्रावधान के तहत अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है			रकम रुपए में
	(xiii)	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के प्रावधान के तहत अनुमोदन प्राप्त किया गया है			
	(xiv)	ट्रस्ट या संस्था की वस्तुओं से परे किसी भी उद्देश्य के लिए आवेदन किया गया			रकम रुपए में
	(xv)	कोई अन्य अननुज्ञेय			रकम रुपए में
	(xvi)	कुल अनुज्ञेय उपयोजन [(23(iv)+23(v)+23(vi) – {23(vii) से 23(xv)}]			रकम रुपए में
	(xvii)	धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) के अधीन पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित समझी गई रकम			रकम रुपए में
	(xviii)	धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 या धारा 11 की उप-धारा (2) के के उपबंधों के अधीन संचित आय			रकम रुपए में
(xix)	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों या न्यास या संस्था की कथन की गई वस्तुओं के लिए जमा की गई या अलग रखी गई आय,			रकम रुपए में	

			आय के 15% से अधिक नहीं है				
	24.	कराधेय आय 22- [23(xvi)] से 23(xix)]					रकम रुपये में
	25.	धारा 115खखग के अधीन कराधेय आय					रकम रुपये में
	26.	अनाम संदान जो धारा115 खखग के अधीन @30% कर के लिए प्रभार्य है					रकम रुपये में
विभिन्न स्रोतों से आय का उपयोग	27.	पूर्व वर्ष के दौरान निम्नलिखित स्रोतों से आय का उपयोग					रकम रुपये में
		(क)	किसी पूर्व वर्ष के दौरान धारा 10 के खंड 23(ग) के तीसरे परंतुक के अधीन या धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन संचित आय				कुल रकम (रु.)
		(ख)	किसी पूर्व वर्ष के दौरान धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) के अधीन किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उपयोजित समझी गई आय				कुल रकम (रु.)
		(ग)	पूर्वतर पूर्व वर्ष की आय 15% तक संचित या अलग रखी गई				कुल रकम (रु.)
		(घ)	समग्र अंश				कुल रकम (रु.)
		(ङ.)	उधार ली गई निधि				कुल रकम (रु.)
		(च)	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				कुल रकम (रु.)
113 (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति	28.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति के व्योरे ** धारा 13 की उपधारा (3) में यथाविनिर्दिष्ट					
		धारा 13 की उपधारा (3)में निर्दिष्ट व्यक्ति का कोड >टिप्पण निर्दिष्ट करें <^^	ऐसे व्यक्ति का नाम	ऐसे व्यक्ति का पैन	ऐसे व्यक्ति की आधार संख्या ,यदि आबंटित की गई हो	ऐसे व्यक्ति का पता	यदि संतम (1) में कोड 2 चयनित किया गया है तो संपरीक्षिती को किए गए अभिदाय की रकम विनिर्दिष्ट करें
	29.	धारा 13(2) में निर्दिष्ट आय/संपत्ति के व्योरे					
	(क)	क्या संपरीक्षिती की आय या संपत्ति का कोई भाग पूर्ववर्ष के दौरान किसी कालावधि के लिए पर्याप्त प्रतिभूति या पर्याप्त व्याज या दोनों के बिना किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उधार दिया जाता है या उधार बना रहता है				हां /नहीं	यदि हां, तो रकम रुपये में
	(ख)	क्या संपरीक्षिती की कोई भूमि, भवन या कोई अन्य संपत्ति पूर्ववर्ष के दौरान किसी कालावधि के लिए किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के उपयोग के लिए पर्याप्त भाटक या अन्य प्रतिकर प्रभारित किए बिना उपलब्ध की जाती है या बनी रहती है				हां /नहीं	यदि हां, तो रकम रुपये में
	(ग)	किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, उस व्यक्ति द्वारा की गई ऐसे संपरीक्षिती की सेवाओं के लिए वेतन, भत्ते या अन्य रूप में कोई रकम संपरीक्षिती के साधनों में से पूर्ववर्ष से संदत्त की जाती है और इस प्रकार संदत्त रकम उससे अधिक है जो ऐसी सेवाओं के लिए युक्तियुक्त रूप में संदत्त की जा सकती है।				हां /नहीं	यदि हां, तो रकम रुपये में
	(घ)	क्या संपरीक्षिती की सेवाएं किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को पर्याप्त पारिश्रमिक या अन्य प्रतिकर के बिना पूर्ववर्ष के दौरान उपलब्ध की जा सकती है				हां /नहीं	यदि हां, तो रकम रुपये में
	(ङ.)	किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति पर्याप्त से अधिक प्रतिफल के लिए, संपरीक्षिती द्वारा या उसकी ओर से पूर्ववर्ष के दौरान खरीदी जाती है				हां/ नहीं	यदि हां, तो रकम रुपये में
	(च)	किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति पर्याप्त से कम प्रतिफल के लिए संपरीक्षिती द्वारा या उसकी ओर से पूर्ववर्ष के दौरान बेची जाती है				हां/ नहीं	यदि हां, तो रकम रुपये में
	(छ)	क्या संपरीक्षिती की कोई आय या संपत्ति किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पक्ष में पूर्ववर्ष के दौरान अपयोजित की जाती है				हां /नहीं	यदि हां, तो रकम रुपये में
	(ज)	क्या संपरीक्षिती की कोई निधि, पूर्ववर्ष के दौरान किसी अवधि के लिए किसी समुत्थान में विनिहित की जाती है या बनी रहती है जिसमें कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति सारवान हित रखता है				हां /नहीं	यदि हां, तो रकम रुपये में
	30.	क्या संपरीक्षिती ने धारा 10 के खंड (23ग) के पंद्रहवें परंतुक के स्पष्टीकरण 2 या धारा 12ख की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में यथा विनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन या ऐसे उल्लंघन की रकम उपगत की है।					हां /नहीं

		(क)	संपरीक्षिती की आय न्यास या संस्था के उद्देश्यों से भिन्न उपयोजित की गई है	हां/ नहीं	रकम रु. में	
		(ख)	क्या संपरीक्षिती के पास कारबार के लाभ और अभिलाभ से आय है जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक नहीं है या संपरीक्षिती द्वारा कारोबार के बाबत पृथक लेखा बहियां नहीं रखी गई है जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक है।	हां/ नहीं	रकम रु. में	
		(ग)	क्या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख)में निर्दिष्ट संपरीक्षिती ने प्राइवेट धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित संपत्ति से अपनी आय का कोई भाग उपयोजित किया है, जो जनता के फायदे सुनिश्चित नहीं करता है	हां/ नहीं	रकम रु. में	
		(घ)	क्या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख)में निर्दिष्ट, संपरीक्षिती ने, किसी विशिष्ट समुदाय या जाति के फायदे के लिए अपनी आय का कोई भाग उपयोजित किया है	हां नहीं	रकम रु. में	
		(ङ.)	क्या संपरीक्षिती द्वारा किए जा रहे कोई क्रियाकलाप वास्तविक नहीं है या उन सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किए जा रहे है जिनके अधीन इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया था	हां/ नहीं	रकम रु. में	
		(च)	क्या संपरीक्षिती ने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और आदेश, निदेश या डिक्ली चाहे उसे किसी भी नाम से कहा जाता हो, की अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है, यह मानते हुए कि ऐसा अनुपालन हुआ है या तो विवादित नहीं है या अंतिमता प्राप्त कर ली है	हां/ नहीं	रकम रु. में	
	31.	क्या मूल्यहास या अन्यथा का कोई दावा किसी आस्ति के बाबत धारा 10 के खंड (23ग) के स्पष्टीकरण के निबंधनों में किया गया है जिसका अर्जन आय के उपयोजन और ऐसे मूलहास की रकम के रुप में दावाकृत किया गया है ?			हां/ नहीं	यदि हाँ तो रकम विनिर्दिष्ट करें
	32.	क्या संपरीक्षिती को अध्याय 17ख या अध्याय 17खख के उपबंधों के अनुसार कर कटौती या संग्रह करना अपेक्षित है			(यदि हां तो अनुसूची टीडीएस/टीसीएस यथा लागू पर टीडीएस/टीसीएस पर ब्याज भरें)	

अनुसूची भरे जो लागू हो अनुदेशों को निर्दिष्ट करें < प्ररूप 10 खख >

अनुसूत्र टीडीएस अनुसूची: धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (झक) के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के तेरहवें परंतुक और धारा 11 की उपधारा के अधीन अस्वीकार्य रकमों और अनुसूत्र रकमों के ब्यौरे

(क) संदाय के ब्यौरे जिस पर कर नहीं काटा गया है

संदाय की तारीख दिदि/मासा/वववव	संदाय की रकम (रु. में)।	संदाय की प्रकृति	प्राप्तकर्ता का नाम	प्राप्तकर्ता का पैन या आधार यदि उपलब्ध हो	प्राप्तकर्ता का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(ख) संदाय के ब्यौरे जिस पर कर काटा गया है किंतु धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट देय तारीख पर या उससे पहले संदत्त नहीं किया गया है

संदाय की तारीख दिदि/मासा/वववव	संदाय की रकम (रु. में)।	संदाय की प्रकृति	प्राप्तकर्ता का नाम	प्राप्तकर्ता का पैन या आधार, यदि उपलब्ध हो	प्राप्तकर्ता का पता	काटे गए कर की रकम	जमा की गई (7) में से यदि कोई हो।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

अनुसूची 40क (3क): धारा 40(क) की उपधारा 3 के साथ पठित धारा 10(23ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के अधीन रकम के ब्यौरे अनुसूत्र है

क्र.सं.	संदाय की तारीख	संदाय की रकम (रु. में)	संदाय की प्रकृति (रु. में)	प्राप्तकर्ता के ब्यौरे		
				नाम	पैन या आधार, यदि उपलब्ध हो	पता

अनुसूची 40 (3क): धारा 40क की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 10(23ग) के तेरहवें परंतुक या धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अनुसूत्र रकम के ब्यौरे

क्र.सं.	संदाय की तारीख	रकम	प्रकृति	प्राप्तकर्ता के ब्यौरे		
				नाम	पैन या आधार, यदि उपलब्ध हो	पता

अनुसूची टीडीएस/टीसीएस

कर कटौती और संग्रह लेखा संख्या (टीएएन)	धारा	संदाय की प्रकृति	स्वंत्र (3) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का संदाय या प्राप्ति की कुल रकम	कुल रकम जिस पर कर (4) में से काटा या संग्रहीत किया जाना अपेक्षित था	कुल रकम जिस पर कर (5) की विनिर्दिष्ट दर पर काटा या संग्रहीत किया गया था	(6) में से काटी गई या संग्रहीत कर की रकम	कुल रकम जिस पर कर (7) की विनिर्दिष्ट दर पर काटा या संग्रहीत किया गया था	(8) पर काटे गए या संग्रहीत किए गए कर की रकम	(6) और (8) में से काटे गए या संग्रहीत किए गए किंतु केंद्रीय सरकार के प्रत्यय में जमा नहीं की गई कर की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

टीडीएस या टीसीएस का अनुसूची विवरण				
कर कटौती और संग्रह लेखासंख्या (टीएएन)	प्ररूप का प्रकार	प्रस्तुत करने की नियत तारीख	प्रस्तुत करने की तारीख, यदि दी गई हो	क्या काटे गए या संग्रहीत किए गए कर के विवरण में सभी संव्यवहारों के बारे में जानकारी है, जिनका रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

टीडीएस/टीसीएस पर अनुसूची ब्याज			
कर कटौती और संग्रह लेखा संख्या (टीएएन)	धारा 201(1क) या 206ग(7) के अधीन ब्याज की रकम देय है	स्तंभ (2) में से संदाय की गई रकम	रकम के संदाय की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)

प्ररूप 10 खख के टिप्पण

- अधिनियम की धारा 10 के खंड(23 ग) के उप-खंड (iv), उप-खंड (v), उप-खंड (vi) या उप-खंड (vi) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था या अधिनियम की धारा 11 या धारा 12 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था को इस प्ररूप में "संपरीक्षित" के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;
- **धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को इस प्ररूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;
- *क्रम संख्यांक 6 में, वह पता प्रदान करें जो प्रबंधन द्वारा एक संकल्प के माध्यम से विनिश्चित किया गया है और जिसे नियम 17क के उपनियम (3) के परंतुक के अनुसार ऐसे संकल्प के सात दिनों के भीतर लिखित रूप में क्षेत्रीय निर्धारण अधिकारी की अधिकारिता के लिए सूचित किया गया है,
- क्रम संख्यांक 9(क) में, संबंध के लिए, स्तंभ (2) में, निम्नलिखित में से एक या अधिक कोड चयनित किए जाएंगे

क्रम सं.	धारा	कोड
(1)	निर्माता	1
(2)	संप्रवर्तक	2
(3)	व्यवस्थापक	3
(4)	न्यासी	4
(5)	सोसाइटी का सदस्य	5
(6)	शासकीय परिषद् का सदस्य	6
(7)	निदेशक	7
(8)	शेयरधारक 5% या अधिक के शेयरधारी	8
(9)	पदाधिकारी	9
(10)	अन्य	10

5. ## क्रम संख्यांक 9(क) के स्तंभ 5% में, और क्रम संख्यांक 9(ख) के स्तंभ (4) में विशिष्ट पहचान संख्या के स्थान पर और यदि कोड है, तो निम्नलिखित भरा जाना चाहिए:

(क) यदि पैन या आधार संख्या उपलब्ध है, तो उसे अनिवार्य रूप से भरा जाना चाहिए और निम्नलिखित आईडी कोड भरा जाना चाहिए :

पहचान के प्रकार	कोड
पैन	1
आधार संख्या	2

(ख) यदि न तो पैन न ही आधार उपलब्ध है, निम्नलिखित में से एक भरा जाना चाहिए :

पहचान के प्रकार	कोड
उस देश की करदाता पहचान संख्या, जहां व्यक्ति रहता है	3
पासपोर्ट संख्या	4
निर्वाचक की फोटो पहचान संख्या	5
चालन अनुज्ञप्ति संख्या	6
राशनकार्ड संख्या	7

6. ^क्रम संख्या 28 में, विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से एक या अधिक कोड चुनें:

क्र.सं	व्यक्ति की प्रकृति	कोड
(1)	न्यास के निर्माता या संस्था के संप्रवर्तक;	1
(2)	कोई भी व्यक्ति जिसने न्यास या संस्थान में पर्याप्त अभिदाय दिया है, अर्थात् कोई व्यक्ति जिसका सुसंगत पूर्व वर्ष के अंत तक कुल अभिदाय पचास हजार रुपये से अधिक है;	2
(3)	जहां ऐसा निर्माता संप्रवर्तक; या व्यक्ति एक हिंदू अविभक्त कुटुंब है वहां उस कुटुंब का सदस्य;	3
(4)	न्यास का कोई न्यासी या संस्था का प्रबंधक जिस नाम से संबोधित हो;	4
(5)	यथापूर्वोक्त किसी भी ऐसे निर्माता, संप्रवर्तक, व्यक्ति, सदस्य, न्यासी या प्रबंधक का कोई नातेदार;	5
(6)	कोई भी समुत्थान जिसमें ऊपर निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई सारवान रखता हित रखता है।	6

[अधिसूचना सं. 7/2023 [फा. सं- 370142/47/2022-टीपीएल]

विपुल अग्रवाल, निदेशक, (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 95(अ) तारीख 14 फरवरी, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2023

G.S.R. 118(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of the tenth proviso to clause (23C) of section 10, sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Act), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Income-tax Amendment (3rd Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the 1st day of April, 2023.

2. In the Income-tax Rules, 1962 hereinafter referred to as the principal Rules, for rule 16CC, the following rule shall be substituted, namely:—

‘16CC. Form of report of audit prescribed under tenth proviso to section 10(23C).—The report of audit of the accounts of a fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution which is required to be furnished under clause (b) of the tenth proviso to clause (23C) of section 10 shall be in—

(a) Form No. 10B where—

- (I) the total income of such fund or institution or trust or university or other educational institution or hospital or other medical institution, without giving effect to the provisions of the sub-clauses (iv), (v), (vi) and (via) of the said clause, exceeds rupees five crores during the previous year; or
- (II) such fund or institution or trust or university or other educational institution or hospital or other medical institution has received any foreign contribution during the previous year; or
- (III) such fund or institution or trust or university or other educational institution or hospital or other medical institution has applied any part of its income outside India during the previous year;

(b) Form No. 10BB in other cases.

Explanation.— For the purposes of sub-clause (II) of clause (a), the expression “foreign contribution” shall have the same meaning assigned to it in clause (h) of sub-section (1) of section 2 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).’.

3. In the principal Rules, for rule 17B, the following rule shall be substituted, namely:—

‘17B. Audit report in the case of charitable or religious trusts, etc.— The report of audit of the accounts of a trust or institution which is required to be furnished under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A, shall be in—

(a) Form No. 10B where—

- (I) the total income of such trust or institution, without giving effect to the provisions of sections 11 and 12 of the Act, exceeds rupees five crores during the previous year; or
- (II) such trust or institution has received any foreign contribution during the previous year; or
- (III) such trust or institution has applied any part of its income outside India during the previous year;

(b) Form No. 10BB in other cases.

Explanation.— For the purposes of sub-clause (II) of clause (a), the expression foreign contribution shall have the same meaning assigned to it in clause (h) of sub-section (1) of section 2 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010).’.

4. In the principal Rules, for Form no. 10B, the following form shall be substituted, namely:—

‘FORM No. 10B*[See rule 16CC and 17B]*

Audit report under clause (b) of the tenth proviso to clause (23C) of section 10 and sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A of the Income-tax Act, 1961, in the case of a fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution.

* I/We have examined the balance sheet of [name of the fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution] as at and the Income and Expenditure account or Profit and Loss account for the year ended on that date are in agreement with the books of account maintained by the said fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution.

* I/We have obtained all the information and explanations to the best of *my/our knowledge and belief which are necessary for the purposes of the audit.

In * my/our opinion, proper books of account have been maintained at the registered office of the above named fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution at the address mentioned at serial number 14 of the Annexure :

In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to *me/us, the particulars given in the Annexure are true and correct subject to following observations or qualifications—

- (a)
- (b)
- (c)

In * my/our opinion and to the best of * my/our information, and according to information given to * me/us, the said accounts give a true and fair view—

- (i) in the case of the balance sheet, of the state of affairs of the above named * fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution as on _____;and
- (ii) in the case of the Income and Expenditure account or Profit and Loss account, of the income and application or profit or loss of its accounting year ending on

subject to the following observations/qualifications—

- (a)
- (b)
- (c)

The prescribed particulars are annexed hereto.

Place .

Date .

Signed Accountant †

Name

Membership Number

Address

Notes :

1. *Strike out whichever is not applicable.

2. †This report has to be given by - a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949).

3. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative, or with a qualification, the report shall state the reasons for the same.

ANNEXURE
Statement of particulars

Basic Details	1.	PAN of the auditee			ABCDE1234F											
	2.	Name of the auditee														
	3.	Assessment Year														
	4.	Previous Year			ddmmyyyy To ddmmyyyy											
	5.	Registered Address of the auditee														
	6.	Other addresses, if applicable			< refer note*>											
Legal	7.	Type of the auditee			Trust ☐ Society ☐ Company ☐ Others ☐											
	8.	Whether the auditee is established under an instrument?			Yes/No											
Registration Details	9.	Details of registration/provisional registration or approval/ provisional approval or notification of the auditee under the Income-tax Act (details of all the registration/provisional registration/approval/provisional approval/notification which are valid during the previous year should be provided, however where the auditee has got the registration/approval after provisional registration/approval the details of provisional registration/approval need not be provided)														
		Section under which registered/provisionally registered or approved/ provisionally approved /notified (refer note **)			Date of registration/provisional registration or approval/ provisionally approval/ notification (dd/mm/yyyy)			Registration/Approval/ Notification/ Unique Registration No. (URN), if available			Authority granting registration/provisional registration or approval/provisional approval or notification			Date from which registration/provisional registration/approval/provisional approval/notification is effective (dd/mm/yyyy)		
		(1)			(2)			(3)			(4)			(5)		
Management	10.	(a) Details of all the Author (s)/ Founder (s)/ Settlor (s)/Trustee (s)/ Members of society/Members of the Governing Council/ Director (s)/ shareholders holding 5% or more of shareholding / Office Bearer (s) of the auditee at any time during the previous year														
		Name of person	Relation < refer note#>	Percentage of shareholding in case of shareholder	Unique Identification Number	Id Code < refer note##>	Address	Whether there is any change in relation during previous year of audit Yes/No			If yes, specify the change					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)					
		(b) In case if any of the persons [as mentioned in row 10(a)] is not an individual, then provide the following details of the natural persons who are beneficial owners (5% or more) of such person at any time during the previous year														
		Sl. No.	Name	Unique Identification Number	ID code < refer note##>	Address	Non-individual person [as mentioned in row no 10(a)] in which beneficial ownership held	Percentage of beneficial ownership		Whether there is any change during previous year of audit Yes/No		If yes, specify the change				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)				
Objects	11.	Objects of the auditee														
	12.	(i)	Whether the auditee, being a trust or institution referred to in section 11 or 12, has adopted or undertaken modification of the objects which do not conform to the conditions of registration?										Refer Note\$			
		(ii)	If yes, please furnish following information:-										Yes/No			
		(A)	date of such modification/ adoption (DD/MM/YYYY)													
		(B)	Whether an application for registration has been made in the prescribed form and manner within the stipulated period of thirty days from the date of said adoption or modification, as per sub-clause (v) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A.										Yes/No			
	(C)	If yes provide the following details regarding application for registration under sub-clause (v) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A														
	S.No		Date of Application		Status of registration in pursuance of application			Date of Registration or cancellation based on such application			URN of such registration					
					(Pending/ Registration granted/Registration cancelled)			(dd/mm/yyyy)								

Commencement of activities	13.	(i)	Where the auditee has been granted provisional registration or provisional approval, whether activities have commenced during the previous year						Yes/No		
		(ii)	If yes in 13 (i) , date of commencement of activities						d d m m y y y y		
		(iii)	If the answer to 13(i) is yes, whether application for registration under section sub-clause (iii) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A or application for approval under clause (iii) of the first proviso to clause (23C) of section 10 has been filed?						Yes/No		
		(iv)	If yes in 13(iii) above, provide the following details regarding application for registration under section sub-clause (iii) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A or application for approval under clause (iii) of the first proviso to clause (23C) of section								
			S.No	Date of Application	Status of registration in pursuance to application		Date of Registration /Cancellation based on such application		URN of such registration		
					(Pending/ granted/Registration cancelled)		(dd/mm/yyyy)				
Details of Place where books of accounts and other documents have been maintained	14.	(i)	Whether the books of account and other documents have been kept and maintained in the form and manner and at such place as prescribed under rule 17AA by the auditee						Yes/No		
		(ii)	Provide the following details of the books of account and other documents								
		S. No	Nature of Books of Account <Refer Note\$\$>	Whether maintained by the auditee (Yes/No)	Whether maintained in a computer system, (Yes/No)	Whether maintained at registered office (Yes/No)	If maintained at any place other than the registered place		Whether the books of account have been audited (Yes/No)		
							Address of such Place	Date of decision by management to keep account at such place	Date of intimation to Assessing Officer that books of accounts are kept at such place under proviso to sub-rule (3) of rule 17AA		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Advancement of General Public Utility	15.	Where, in any of the projects/institutions run by auditee, one of the charitable purposes is advancement of any other object of general public utility then, -									
		(A)	Whether any activity is being carried on by the auditee which is in the nature of trade, commerce or business referred to in proviso to clause (15) of section 2?						Yes/No		
		(B)	If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts						%		
		(C)	Whether such activity in the nature of trade, commerce or business is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility						Yes/No		
		(D)	Whether there is any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business for any consideration as referred to in proviso to clause (15) of section 2?						Yes/No		
		(E)	If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts						%		
		(F)	Whether such activity of rendering service is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility						Yes/No		
16.	If 'A' or 'D' in 15 is Yes, the aggregate annual receipts from such activities in respect of that project/institution										
		S.No	Name of Project/ Institution			Amount of aggregate annual receipts from activities referred in 15A and 15D (In Rs.)					
		Total									
Business Undertaking	17.	(i)	Whether the auditee has any business undertaking as referred to in sub-section (4) of section 11						Yes/No		
			If yes, then provide the following details of the business undertaking:								
		(ii)	(a)	Nature of Business Undertaking							
			(b)	Business Code							
			(c)	Whether separate books of account have been maintained for the business undertaking <refer note^>						Yes/No	
			(d)	Income from the business undertaking for the previous year which is not to be included in the total income of the auditee as per sub-section (4) of section 11						Amount in Rs.	
		(e)	Income from the business undertaking for the previous year which is to be included in the total income of the auditee as per sub-section (4) of section 11						Amount in Rs.		
Business Incidental to Objects	18.	(i)	Whether the auditee has any income being profits and gains from any business as referred in seventh proviso to Clause (23C) of section 10 or sub-section (4A) of section 11, as the case may be						Yes/No		
			If yes, then provide the following details of such business:						Yes/No		
		(ii)	(a)	Nature of Business							
			(b)	Business Code							
			(c)	Whether separate books of account have been maintained for the business <refer note^>						Yes/No	
			(d)	Whether the business is incidental to the attainment of the objects of the auditee						Yes/No	
		(e)	Profits and gains from the business during the previous year						Amount in Rs.		

TDS on receipts	19.	Details of the receipts of the auditee on which tax has been deducted at source referred to in sections 194C or 194J or 194H or 194Q :											
		S. No.	Name of the deductor	TAN of deductor	Amount on which tax has been deducted at source (In Rs.)	Amount of tax deducted at source	Section under which tax has been deducted at source	Category of income/receipt			Income/receipt in column 7 or 8 which is from business incidental to the attainment of the objects of the auditee. (In Rs.)	Whether separate books of account have been maintained for activities income/receipt which is mentioned in column 10 (Yes/No)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Trade, commerce or business (Rs.)	Activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business (Rs.)	Others (specify the nature) (Rs.)	(10)	(11)	
	20.	Whether the provisions of twenty second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13 are applicable.										Yes/No	
Voluntary contributions	21.	Whether auditee has filed Form No. 10BD for the previous year < If No then skip to row 23 >										Yes/No	
	22.	Total Sum of donations reported in Form No. 10BD furnished by the auditee for the previous year										(Amount in Rs..)	
	23.	Donations not reported in Form No 10BD /Not required to fill Form No. 10BD											
		(i)	Donations received by fund or trust or institution of the auditee which is approved under clause (b) of sub-section (2) of section 80G									Amount in Rs.	
		(ii)	Donations received by fund or trust or institution of the auditee which qualifies for deduction under section 80G (other than those donations qualifying under clause (b) of sub-section (2) of section 80G or sub-clause (iv) of clause (a) of sub-section (2) of section 80G)									Amount in Rs.	
		(iii)	Donations received by fund or trust or institution of the auditee approved under sub-clause (iv) of clause (a) of sub-section (2) of section 80G and which are not eligible under sub-section (5) of section 80G					(a)	Cash donations exceeding Rs. 2000			Amount in Rs.	
								(b)	Donations received from other charitable trusts and institution or from any fund or institution or trust or any university or other educational institutions or any hospital or other medical institution not eligible for deduction			Amount in Rs.	
								(c)	Others < Specify the nature>			Amount in Rs.	
								(d)	Total (a)+(b)+(c)			Amount in Rs.	
		(iv)	Donations which could not be reported in Form No 10BD due to non-availability of identification of donor as required under Form No 10BD									Amount in Rs.	
		(v)	Donations received in kind									Amount in Rs.	
		(vi)	Anonymous Donations referred to in section 115BBC										
			(a)	Amount of anonymous donation not taxable under section 115BBC on account of applicability of clause (i) of sub-section (1) of section 115BBC									Amount in Rs.
			(b)	Amount of anonymous donation not taxable under section 115BBC on account of applicability of clause (a) of sub-section (2) of section 115BBC									Amount in Rs.
			(c)	Amount of anonymous donation not taxable under section 115BBC on account of applicability of clause (b) of sub-section (2) of section 115BBC									Amount in Rs.
			(d)	Other anonymous donations taxable @ 30 % under section 115BBC									Amount in Rs.
		(e)	Total (a+b+c+d)									Amount in Rs.	
(vii)	Any other voluntary contribution not part of Form No. 10BD							<Please specify the nature>		Amount in Rs.			
(viii)	Total donation not reported in Form No 10BD [23(i)+23(ii)+23(iii)(d) +23(iv)+23(v)+23(vi)(e)+23(vii)]									Amount in Rs.			
24.	Total voluntary contributions received by the auditee during the previous year [22+23(viii)]										Amount in Rs.		
25.	Total foreign contribution out of the total voluntary contributions stated in 24										Amount in Rs. < Fill Schedule FC>		
26.	Voluntary Contribution forming part of corpus (which are included in 24)										Amount in Rs.		
	(A)	Corpus representing donations received for the renovation or repair of places notified under clause (b) of sub-section (2) of section 80G eligible for exemption under Explanation 1A to the third proviso to clause (23C) of section 10 or Explanation 3A to sub-section (1) of section 11									Amount in Rs. < Fill Schedule Corpus>		
	(B)	Corpus donations as referred to in clause (d) of sub-section (1) of section 11 or Explanation 1 to the third proviso to section 10 (23C) eligible for exemption and invested in modes specified under sub-section (5) of section 11									Amount in Rs. < Fill Schedule Corpus>		
27.	Voluntary Contributions required to be applied by the auditee during the previous year [24-{23(vi)(d)+26A+ 26B}]										Amount in Rs.		

Income to be applied	28.	Income other than voluntary contributions derived from property held under trust referred to in section 11 or income of fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution (other than the contribution reported in serial number 24)						Amount in Rs.			
	29.	Income applied outside India which is eligible under clause (c) of sub-section (1) of section 11						Amount in Rs. < Fill Schedule Int App>			
	30.	Income required to be applied in India by the auditee during the previous year [27+28-29]						Amount in Rs.			
Application of Income	31.	Application of Income (excluding application not eligible and reported under serial number 37)									
	(i)	Total amount applied for charitable or religious purposes in India during the previous year				+Electronic (In Rs)	Other than Electronic (In Rs.)		Amount in Rs.		
	(a)	Contribution or donation to any other person during the previous year							Amount in Rs.		
	(b)	Object wise application other than the application provided in (a)									
		(I)	Religious							Amount in Rs.	
		(II)	Relief of poor							Amount in Rs.	
		(III)	Education							Amount in Rs.	
		(IV)	Medical relief							Amount in Rs.	
		(V)	Yoga							Amount in Rs.	
		(VI)	Preservation of environment (including watersheds, forests and wildlife)							Amount in Rs.	
		(VII)	Preservation of monuments or places or objects of artistic or historic interest							Amount in Rs.	
		(VIII)	Advancement of any other objects of general public utility							Amount in Rs.	
		(IX)	Application which cannot be specifically categorised under (I) to (VIII)							Amount in Rs.	
	(X)	Total							Amount in Rs.		
	(c)	Total application [(a) + (b)(X)]							Amount in Rs.		
	(ii)	Details of application out of (i) (a) and (i) (b) resulting in payment in excess of Rs. 50 lakh during the previous year to any person									
		S.No.	Name of person to whom amount paid or credited	PAN of such person	Amount of application (Rs)	Mode of application			TDS		
						+Electronic modes (Rs.)	Other than Electronic modes (Rs.)	Total	Whether any TDS has been deducted Yes/No	Section under which TDS has been deducted	
	(iii)	Amount which was not actually paid during the previous year [if included in (i)(c)]								Amount in Rs.	
	(iv)	Amount actually paid during the previous year which accrued during any earlier previous year but not claimed as application of income in earlier previous year								Amount in Rs.	
	(v)	Total amount to be allowed as application [31(i)(c)- 31(iii) +31(iv)]								Amount in Rs.	
	(vi)	Bifurcation of application in 31(v) into Revenue or Capital								Amount in Rs.	
		(a)	Revenue							Amount in Rs.	
		(b)	Capital							Amount in Rs.	
	(vii)	Amount invested or deposited back in corpus which was applied during any preceding previous year and not claimed as application during that previous year.								Amount in Rs. < fill Schedule Corpus>	
	(viii)	Repayment of loan or borrowing during the previous year which was earlier applied and not claimed as application during that previous year during that previous year.								Amount in Rs. < fill Schedule LB>	
Amount to be disallowed from application											
(ix)	Amount disallowable under thirteenth proviso to clause (23C) of section 10 or Explanation 3 to sub-section (1) of section 11 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40								Amount in Rs. < fill schedule TDS>		
(x)	Amount disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C) or Explanation 3 to sub-section (1) of section 11 read with sub-section (3) or (3A) of section 40A								Amount in Rs. < fill schedule 40A(3)/schedule 40A(3A)>		
(xi)	Donation to any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub - clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in sections 11 or 12 of the Act towards Corpus								Amount in Rs.		
(xii)	Donation to Any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub - clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in sections 11 or 12 of the Act not having								Amount in Rs.		

			same objects			
		(xiii)	Donation to any person other than any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub - clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in sections 11 or 12 of the Act		Amount in Rs.	
		(xiv)	Application outside India for which approval under proviso to clause (c) of sub-section (1) of section 11 has not been obtained		Amount in Rs.	
		(xv)	Application outside India for which approval under proviso to clause (c) of sub-section (1) of section 11 has been obtained			
		(xvi)	Applied for any purpose beyond the objects of the auditee		Amount in Rs.	
		(xvii)	Any other disallowance (Please specify)		Amount in Rs.	
		(xviii)	Total allowable application [{31(v)+31(vii)+31(viii) – {31(ix) to 31(xvii) }]		Amount in Rs.	
		(xix)	Amount deemed to have been applied during the previous year under clause (2) of Explanation 1 to sub-section (1) of section 11		Amount in Rs. < fill Schedule DI>	
		(xx)	Income accumulated as per the provisions of Explanation 3 to the third proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (2) of section 11		Amount in Rs. < fill Schedule AC>	
		(xxi)	Income accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes or stated objects of trust or institution to the extent it does not exceed 15 % of the income		Amount in Rs.	
		32.	Taxable Income [30- {31(xviii) to 31(xxi)}]			Amount in Rs.
Section 115BBI	33.	Income taxable under section 115BBI				
		(a)	Whether the auditee has any deemed income referred to in sub-section (1B) of section 11 which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such deemed income?	Yes/No If yes fill Schedule DI	Amount in Rs.	
		(b)	Whether the auditee has any deemed income referred to in Explanation 4 to third proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (3) of section 11 which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such deemed income?	Yes/No If yes fill Schedule AC	Amount in Rs.	
		(i)	Whether income accumulated is applied for the purposes other than charitable or religious purposes or ceases to be accumulated or set apart for application thereto		Yes/No	Amount in Rs.
			Whether such income accumulated ceases to remain invested or deposited in any of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11		Yes/No	Amount in Rs.
			Whether such income accumulated is not utilised for the purpose for which it is so accumulated or set apart during the period referred to in clause (a) of Explanation 3 to third proviso to clause (23C) of section 10 or clause (a) of sub-section (2) of section 11		Yes/No	Amount in Rs.
			Whether such income accumulated is credited or paid to any trust or institution registered under section 12AA or section 12AB or to any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub-clause (iv) or sub-clause (v) or sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10		Yes/No	Amount in Rs.
		(c)	(i)	Whether the auditee has any income which is income not to be excluded from the total income under twenty first proviso to clause (23C) of section 10 or clause (c) of sub-section (1) of section 13 which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such income	Yes/No	Amount in Rs.
			(ii)	Whether the auditee has any income which is not to be excluded from the total income under clause (b) of third proviso to clause (23C) of section 10 or clause (d) of sub-section (1) of section 13 which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such income	Yes/No	Amount in Rs.
		(d)	Whether the auditee has any income accumulated or set apart in excess of fifteen per cent. of the income where such accumulation is not allowed under any specific provision of the Act and which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such income ?		Yes/No	Amount in Rs.
		(e)	Whether the auditee has made any application out of India which is not excluded from total income under clause (c) of sub-section (1) of section 11		Yes/No < If yes fill schedule Int App>	Amount in Rs.
	34.	Anonymous donation which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBC			Amount in Rs.	
	Other Income	35.	Other Income			Amount in Rs.
(a)			Whether the auditee has any income chargeable under section 12(2) and the amount of such income.	Yes/No	Amount in Rs.	
(b)			Income as per Explanation 3B to sub-section (1) of section 11 in case of violation of clause (a) or (b) or (c) or (d) of Explanation 3A to sub-section (1) of section 11 read with clause (b) of sub-section (2) of section		Amount in Rs. < Fill Schedule Corpus>	

		80G									
	(c)	Income as per <i>Explanation 1B</i> to the third proviso to clause (23C) of section 10 in case of violation of clauses (a) or (b) or (c) or (d) of <i>Explanation 1A</i> to the third proviso to clause (23C) of section 10 read with clause (b) of sub-section (2) of section 80G					Amount in Rs. < Fill Schedule Corpus>				
	(d)	Income chargeable under sub-section (4) of section 11					Amount in Rs.				
Capital Asset	36.	Details of capital asset transferred under sub-section (1A) of section 11									
	(1)	Whether a capital asset being property held under trust wholly for charitable or religious purpose is transferred and the net consideration for which it is transferred?				Yes/No		Amount in Rs.			
	(2)	Whether deemed application is claimed as per clause (a) of sub-section (1A) of section 11 and the amount of such deemed application?				Yes/No		Amount in Rs.			
	(3)	Whether a capital asset being property held under trust in part only for charitable or religious purpose is transferred and the net consideration for which it is transferred?				Yes/No		Amount in Rs.			
	(4)	Whether deemed application is claimed as per clause (b) of sub-section (1A) of section 11 and the amount of such deemed application?				Yes/No		Amount in Rs.			
Application of income out of different sources	37.	Application of income out of the following sources during the previous year									
	(A)	Income accumulated under third proviso to clause (23C) of section 10 or under sub-section (2) of section 11 during any earlier previous year				+Electronic modes (Rs.)		Other than Electronic modes (Rs.)		Total Amount (Rs.) < Fill schedule AC>	
	(B)	Income deemed to be applied in any preceding year under clause (2) of <i>Explanation 1</i> to sub-section (1) of section 11 during any earlier previous year				+Electronic modes (Rs.)		Other than Electronic modes (Rs.)		Total Amount (Rs.) < Fill schedule DI>	
	(C)	Income of earlier previous years up to 15% accumulated or set apart				+Electronic modes (Rs.)		Other than Electronic modes (Rs.)		Total Amount (Rs.)	
	(D)	Corpus				+Electronic modes (Rs.)		Other than Electronic modes (Rs.)		Total Amount (Rs.) < Fill Schedule Corpus>	
	(E)	Borrowed fund				+Electronic modes (Rs.)		Other than Electronic modes (Rs.)		Total Amount (Rs.) < Fill Schedule LB>	
	(F)	Any other (Please specify)				+Electronic modes (Rs.)		Other than Electronic modes (Rs.)		Total Amount (Rs.) < Fill Schedule LB>	
38.	Details of application resulting in payment or credit in excess of Rs. 50 lakh during previous year to a single person out of 37										
	S.no	Name of person	PAN	Amount of application (Rs.)	Mode of Application			TDS			
					+Electronic modes	Other than Electronic modes	Total	Whether any TDS has been deducted (Yes/No)	Section under which TDS has been deducted	Amount of TDS	
13(10) and 22nd proviso to section 10(23C)	39.	(i)	Whether provisions of twenty second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13 are applicable?								Yes/No
	(ii)	If yes in (i) specify the reason why the provisions of twenty second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13 are applicable?									
		(a)	Provision of proviso to clause (15) of section 2 is applicable								Yes/No
		(b)	condition specified in clause (a) of tenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A have been violated								Yes/No
		(c)	condition specified in clause (b) of tenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A have been violated								Yes/No
	(iii)	If yes in (i), please provide computation of income chargeable under twenty second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13									
		(a)	Income for the previous year								Amount in Rs.
		(b)	Total Expenditure incurred in India, for the objects of the auditee,								Amount in Rs.
(c)		Expenditure to be disallowed									

				(i)	Expenditure from the corpus standing to the credit of the trust or institution as on the end of the financial year immediately preceding the previous year relevant to the assessment year for which income is being computed	Amount in Rs.
				(ii)	Expenditure from any loan or borrowing	Amount in Rs.
				(iii)	Depreciation in respect of an asset, acquisition of which has been claimed as application of income, in the same or any other previous year; and	Amount in Rs.
				(iv)	Expenditure in the form of contribution or donation to any person.	Amount in Rs.
				(v)	Capital expenditure	Amount in Rs.
				(vi)	Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40	Amount in Rs. < fill schedule TDS disallowable >
				(vii)	Amount disallowable under Explanation to sub-section (10) of section 13 or Explanation to twenty second proviso to clause (23C) of section 10 read with sub-sections 3 or 3A of section 40A	Amount in Rs. < fill schedule 40A(3)/Schedule 40A(3A)>
				(viii)	Any other disallowance	Amount in Rs.
				(ix)	Total expenditure to be disallowed (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(viii))	Amount in Rs.
			(d)		Income chargeable to tax under twenty-second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13 [a – b+c(ix)]	Amount in Rs.
Expenditure Incurred for Religious Purposes	40.	In case auditee is approved under second proviso to sub-section (5) of section 80G, please provide the following details				
		(a)	Whether any amount of expenditure incurred during the previous year which is of a religious nature and the amount of such expenditure			Yes/No If yes specify amount in Rs.
		(b)	Total income of auditee during the previous year			Amount in Rs.
		(c)	Percentage of expenditure which is of religious nature to the total income [Amount in (a)/(b)]			%
Person referred to in 13(3)	41.	Details of specified person* as referred to in sub-section (3) of section 13				
		Code of Person referred to in sub-section (3) of section 13 <Refer Note^^>	Name of such person	PAN of such person	Aadhar number of such person, if allotted	Address of such person
						If code 2 selected in column (1) specify the amount of contribution made to the auditee
	42.	Details of transactions referred to in section 13 (2)				
	(a)	Whether any part of the income or property of the auditee is, or continues to be, lent to any specified person for any period during the previous year without either adequate security or adequate interest or both				Yes/No < If yes, fill Schedule SP-a>
	(b)	Whether any land, building or other property of the auditee is, or continues to be, made available for the use of any specified person, for any period during the previous year without charging adequate rent or other compensation;				Yes/No < If yes, fill Schedule SP-b >
	(c)	Whether any amount is paid by way of salary, allowance or otherwise during the previous year to any specified person out of the resources of the trust or institution for services rendered by that person to such auditee and the amount so paid is in excess of what may be reasonably paid for such services;				Yes/No < If yes, fill Schedule SP-c >
	(d)	Whether the services of the auditee are made available to any specified person during the previous year without adequate remuneration or other compensation;				Yes/No < If yes, fill Schedule SP-d >
	(e)	Whether any share, security or other property is purchased by or on behalf of the auditee from any specified person during the previous year for consideration which is more than adequate;				Yes/No < If yes, fill Schedule SP-e1/e2 >
	(f)	Whether any share, security or other property is sold by or on behalf of the auditee to any specified person during the previous year for consideration which is less than adequate;				Yes/No < If yes, fill Schedule SP-f1/f2 >
	(g)	Whether any income or property of the auditee is diverted during the previous year in favour of any specified person				Yes/No < If yes, fill Schedule SP-g >
	(h)	Whether any funds of the auditee are, or continue to remain, invested for any period during the previous year, in any concern in which any specified person has a substantial interest.				Yes/No < If yes, fill Schedule SP-h >

Specified Violation	43.	Specified Violation		
		Whether the auditee has incurred any specified violation as referred to in Explanation 2 to the fifteenth proviso to clause (23C) of section 10 or Explanation to sub-section (4) of section 12AB and the amount of such violation	Yes/No	Amount in Rs.
	(a)	Income of the auditee has been applied, other than for the objects of the trust or institution.	Yes/No	Amount in Rs.
	(b)	Whether the auditee has income from profits and gains of business which is not incidental to the attainment of its objectives or separate books of account are not maintained by auditee in respect of the business which is incidental to the attainment of its objectives.	Yes/No	Amount in Rs.
	(c)	Whether the auditee, referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 13, has applied any part of its income from the property held under a trust for private religious purposes, which does not enure for the benefit of the public.	Yes/No	Amount in Rs.
	(d)	Whether the auditee, referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 13, has applied any part of its income for the benefit of any particular religious community or caste.	Yes/No	Amount in Rs.
	(e)	Whether any activity being carried out by the auditee is not genuine or is not being carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was registered.	Yes/No	Amount in Rs.
	(f)	Whether the auditee has not complied with the requirement of any other law, for the time being in force, and the order, direction or decree, by whatever name called, holding that such non-compliance has occurred, has either not been disputed or has attained finality.	Yes/No	< If yes, fill schedule other law violation >
	44.	Whether there is any claim of depreciation or otherwise has been made in terms of Explanation 1 to clause (23C) of section 10 or sub-section (6) of section 11 in respect of any asset, acquisition of which has been claimed as an application of income and the amount of such depreciation?	Yes/No	If yes specify the amount
	45.	In view of provisions of nineteenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (7) of section 11, please specify whether the trust or institution has claimed deduction under section 10 [other than clause (1), clause (23C) and clause (46) thereof] during the previous year and the amount of such claim?	Yes/No	Amount in Rs.
	46.	Whether the auditee has taken or accepted any loan or deposit or any specified sum, exceeding the limit specified in section 269SS during the previous year?	Yes/No	Amount in Rs. (If yes, fill Schedule 269SS)
	47.	Whether the auditee has received an amount exceeding the limit specified in section 269ST, from a person in a day; or in respect of a single transaction; or in respect of transactions relating to one event or occasion from a person during the previous year?	Yes/No	Amount in Rs. (If yes, fill Schedule 269ST)
	48.	Whether the auditee has repaid any amount being loan or deposit or any specified advance exceeding the limit specified in section 269T, during the previous year?	Yes/No	Amount in Rs. (If yes, fill Schedule 269T)
	49.	Whether the auditee is required to deduct or collect tax as per the provisions of Chapter XVII-B or Chapter XVII-BB?	Yes/No	(If yes, fill Schedule TDS/TCS/ Statement of TDS/TCS/ Interest on TDS/TCS as applicable)

Schedules to fill as may be applicable < refer to instructions> Form 10B

Schedule Corpus: Details of Corpus												
Type of corpus donation	Opening balance at the beginning of the previous year (Corpus not applied till the beginning of the previous year) (1)	Received/Treated as corpus during the previous year (2)	Applied during the previous year (3)	Amount invested or deposited back in to corpus (which was earlier applied and not claimed as application fulfilled the conditions) (4)	Total amount invested or deposited back in to corpus (5)	Financial year in which (4) was applied earlier (6)	Closing balance (7) [(1+2+5)-(3)]	Invested in modes specified in section 11(5) (8)	Amount taxed in previous assessment year (9)	Invested in modes other than specified in section 11(5) as on last day of the previous year (10)	If corpus donation is of type (i) then whether it fulfills the following conditions	
											Amount applied out of corpus for the purpose other than for which the voluntary contribution was made	Contribution or donation to any person;
											Maintained as not separately identifiable	Invested or deposited in the forms and modes other those specified under sub-section (5) of section 11.

(i) Representing donations received for the renovation or repair of places notified under 80G(2)(b) on or after 01.04.2020											Yes/ No	Yes/ No	Yes/ No	Yes/ No
(ii) – Other than (i) above received on or after 01.04.2021														
(iii) Other than (i) and (ii) above														

Schedule FC: Details of foreign contribution		
Nature of foreign contribution received during the previous year	Amount of foreign contribution received during the previous years (In Rs.)	Details of the total application from such contribution during the previous year Amount In Rs.
(i) corpus		
(ii) non- corpus		
Total		

Schedule LB: Details of Loan and Borrowing						
Opening balance as on 1 st April of the previous year	Loan and borrowings taken for applications towards objectives during the previous year	Applied for the objects of the trust or institution during the previous year	Amount of repayment of loan or borrowing during the previous year (which was earlier applied and not claimed as application if such application fulfilled the conditions as required)	Financial year in which (4) was applied earlier	Total repayment of loan or borrowing during the previous year (In Rs.)	Closing Balance as on 31st March (1+2-6=7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Schedule Int App: Details of income applied outside India										
S.No.	Name of the person to whom remittance is made	Taxpayer Identification Number if available	Amount of remittance out of India which is reported in Form No. 15CA (In Rs.)	Amount of remittance outside India other than (4) (In Rs.)	Charitable or religious purpose for which application is made	Country of application	Whether applied for promoting international welfare in which India is interested and is and not to be included in total income of the auditee?	If approval for application outside India has been taken		
								Approval number	General/special	Date of approval
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

[illegible]

	for the last seven financial years															
	Total															

Schedule ACA: Details of accumulated income taxed in earlier assessment years under sub-section (3) of section 11

	Assessment year in which this amount was taxed <i>Dropdowns to be provided last five previous years beginning from the previous year preceding the current previous year</i>				
Year of accumulation (F.Y.)	Yyyy – yyyy	Yyyy – yyyy	Yyyy – yyyy	Yyyy – yyyy	Yyyy – yyyy
<i>Dropdowns to be provided for last five previous years beginning from the current previous year</i> Yyyy – yyyy					
Total					

Schedule SP-a: Whether any part of income or property of the auditee is lent, or continues to be lent, to the specified person during the previous year?

S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	Details		Details of Security			Details of interest	
			Nature of income or property which is lent	Amount for which income or property is, or continues to be, lent to specified person for any period during the previous year	Nature of security	Value of security	Value of adequate security	Actual rate of interest that is charged	Adequate rate of interest
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Schedule SP-b: Details of land, building or other property of the auditee which is, or continues to be, made available during the previous year for use of the specified person, during the previous year :

S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	Details of asset		Duration for which asset is, or continues to be, made available for the use of specified person during the previous year,		Details of rent for the previous year		Details of other compensation for the previous year		
			Nature of asset	Address	From dd/mm/yyyy	To dd/mm/yyyy	Amount of rent	Adequate rent	Nature	Amount of compensation	Adequate compensation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			< land/ building/ other property >								

Schedule SP-c: Details of salary, allowance or otherwise which is paid to the specified person out of the resources of the auditee for services rendered by him during the previous year

S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	Nature of services rendered by specified person	Details of payment for the previous year		
				Nature of payment	Amount of payment (in Rs)	Reasonable amount for services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

[illegible]

			Other Property >										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Schedule SP- f 2: Details in case of other property being immovable:

S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	Type of asset	Address of property	Area (in Sq ft)	Stamp Duty Value	Details of Consideration	
							Amount consideration of asset	Adequate consideration for asset
			< Land/ Residential/ Commercial Property etc>					

Schedule SP-g: Details of any income or property which is diverted during the previous year in favour of any specified person

S No	Name of specified person in whose favor income or property diverted	PAN of specified person	Details of Income or property that is diverted	
			Nature of Income or property that is diverted	Value of income or property that is diverted (In Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Schedule h : Details of any funds that are, or continue to remain, invested in any concern during the previous year in which the specified person has a substantial interest

S No		Details of the Concern in which funds are, or continue to remain, invested							Details of substantial interest			
Nature of concern in which funds are continue to remain invested	Name of concern	Address of concern	Amount that is or continues to remain invested in concern during the year (In Rs.)	duration of investment during the previous year			Nature of investment	Income from investment during the year	Name of specified person having substantial interest in concern	PAN of specified person	Nature of substantial interest	Nature of concern in which funds are continue to remain invested
				From dd/mm/yyyy	To dd/mm/yyyy							
	< Company/ Others>											

Schedule other law violation

S.no	Name of law under which non-compliance has occurred	Nature of non-compliance	Date of order, direction or decree, holding that such non-compliance has occurred		Whether the order, direction or decree, has been disputed before any court or appellate forum	If yes, whether dispute has attained finality	Has the dispute been finalised in favour of the auditee
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)

Schedule 269ST: Details of amount received exceeding the limit specified in section 269ST, from a person in a day; or in respect of a single transaction; or in respect of transactions relating to one event or occasion from a person during the previous year?											
	Details of Payee			Details of Transaction					Mode of Repayment		
S.No	Name	PAN, if available	Address	Loan or deposit or any specified advance	Amount	Please specify mode of receipt [by Cheque or bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or any other]	Whether Account payee, if by cheque or bank draft?	Whether squared up?	Maximum amount outstanding	By cheque or Bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or nay other mode	Whether Account Payee if by cheque or bank draft?

Schedule 269T: Details of repayment of any amount being loan or deposit or any specified advance exceeding the limit specified in section 269T, during the previous year?

Details of Payee				Details of Transaction						Mode of Repayment	
S.No	Name	PAN, if available	Address	Loan or deposit or any specified advance	Amount	Please specify mode of receipt [by cheque or Bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or any other]	Whether Account payee, if by cheque or bank draft?	Whether Squared up?	Maximum amount outstanding	By cheque or Bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or any other mode	Whether account payee if by cheque or bank draft?

Schedule TDS/TCS

Tax Deduction and Collection Account Number (TAN)	Section	Nature of payment	Total amount of payment or receipt of the nature specified in column (3)	Total amount on which tax was required to be deducted or collected out of (4)	Total amount on which tax was deducted or collected at specified rate out of	Amount of tax deducted or collected out of (6)	Total amount on which tax was deducted or collected at less than specified rate out of (7)	Amount of tax deducted or collected on (8)	Amount of tax deducted or collected but not deposited to the credit of the Central Government out of (6) and (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Schedule Statement of TDS/TCS

Tax deduction and collection account number (TAN)	Type of Form	Due date for furnishing	Date of furnishing, if furnished	Whether the statement of tax deducted or collected contains information about all transactions which are required to be reported
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Schedule Interest on TDS/TCS

Tax deduction and collection account number (TAN)	Amount of interest under section 201(1A) or 206C(7) is payable	Amount paid out of column (2)	Date of payment Dd/mm/yyyy
(1)	(2)	(3)	(4)

Notes to Form 10B

- (1) Any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub - clause (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in sections 11 or 12 of the Act shall be referred as “auditee” in this form;
- (2) Any person referred to in sub-section (3) of section 13 shall be referred as specified person in this form;
- (3) *In serial number 6, provide the address which has been decided by the management by way of a resolution and which has been intimated to the jurisdictional Assessing Officer in writing within seven days of such resolution as per the proviso to sub-rule (3) of rule 17AA;
- (4) **In serial number 9, for the section under which registered or provisionally registered or approved or provisionally approved one of the following codes shall be selected (details of all the registration/provisional registration or approval or provisional approval or notification which are valid during the previous year should be provided, however where the auditee has got the registration or approval, after provisional registration or approval the details of provisional registration or approval need not be provided):

S. No	Section	Code
(1)	Clause (a) of sub-section (1) of section 12AB of the Act	1
(2)	Clause (b) of sub-section (1) of section 12AB of the Act	2
(3)	Clause (c) of sub-section (1) of section 12AB of the Act	3
(4)	Clause (i) of second proviso to clause (23C) of section 10 of the Act	4
(5)	Clause (ii) of second proviso to clause (23C) of section 10 of the Act	5
(6)	Clause (iii) of second proviso to clause (23C) of section 10 of the Act	6
(7)	Clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Act	7
(8)	Clause (iia) of sub-section (1) of Section 35 of the Act	8
(9)	Clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Act	9
(10)	Clause (i) of second proviso to sub-section (5) of section 80G of the Act	10
(11)	Clause (ii) of second proviso to sub-section (5) of section 80G of the Act	11
(12)	Clause (iii) of second proviso to sub-section (5) of section 80G of the Act	12
(13)	any other, please specify	13

(5). #In row 10(a), in column (2) for relation one or more of the following codes shall be selected

S. No	Section	Code
(1)	Author	1
(2)	Founder	2
(3)	Settlor	3
(4)	Trustee	4
(5)	Members of society	5
(6)	Members of the Governing Council	6
(7)	Director	7
(8)	Shareholders holding of 5% or more of shareholding	8
(9)	Office Bearer s	9
(10)	Others	10

(6) ##In serial number 10(a), in column (5), and in serial number 10(b), in column (4) for ID code, the following should be filled:

(a) If PAN or Aadhar number is available, the same should be mandatorily filled and the following ID code shall be filled:

Type of identification	Code
PAN	1
Aadhar number	2

(b) If neither PAN or Aadhar is available, one of the following should be filled:

Type of identification	Code
Taxpayer identification Number of the country where the person resides;	3
Passport number;	4
Elector's photo identity number	5
Driving License number	6
Ration card number	7

(7). \$ In serial number 11, for the objects of the auditee, one or more of the following options shall be selected:

S.no	Object	Code
(1)	Religious	1
(2)	Relief of poor	2
(3)	Education	3
(4)	Medical relief	4
(5)	Yoga	5
(6)	Preservation of environment (including watersheds, forests and wildlife)	6
(7)	Preservation of monuments or places or objects of artistic or historic interest	7
(8)	Advancement of any other objects of general public utility	8

(8) \$\$In serial number 14(ii), in column (2) one or more of the codes shall be selected:

S.No	Nature of books of account or other document as provided in rule 17AA	Code
(1)	Cash book	1
(2)	Ledger	2
(3)	Journal	3
(4)	Copies of bills, whether machine numbered or otherwise serially numbered, wherever such bills are issued by the assessee, and copies or counterfoils of machine numbered or otherwise serially numbered receipts issued by the assessee	4
(5)	Original bills wherever issued to the person and receipts in respect of payments made by the person	5
(6)	Any other book that may be required to be maintained in order to give a true and fair view of the state of the affairs of the person and explain the transactions effected	6
(7)	Books of account, as referred in Serial No. 1 to 6, for business undertaking referred in sub-section (4) of section 11 of the Act	7
(8)	Books of account, as referred in Serial No 1 to 6,, for business carried on by the assessee other than the business undertaking referred to in sub-section (4) of section 11 of the Act	8
(9)	Record of all the projects and institutions run by the person containing details of their name, address and objectives	9
(10)	Record of income of the person during the previous year as per rule 17AA(1)(d)(ii)	10
(11)	Record of application of income etc. out of income during the previous year as per rule 17AA(1)(d)(iii)	11
(12)	Record of application of income out of the income of any previous year preceding the current previous year as per rule 17AA(1)(d)(iv)	12
(13)	Record of voluntary contribution made with a specific direction that they shall form part of the corpus, as per rule 17AA(1)(d)(v) ;	13
(14)	Record of contribution received for the purpose of renovation or repair of temple, mosque, gurdwara, church or other place notified under clause (b) of sub-section (2) of section 80G which is being treated as corpus, as per rule 17AA(1)(d)(vi)	14
(15)	Record of loan and borrowings as per rule 17AA(1)(d)(vii)	15
(16)	Record of properties as per rule 17AA(1)(d)(viii);	16
(17)	Record of specified persons as per rule 17AA(1)(d)(ix);	17
(18)	Any other documents containing any other relevant information as per rule 17AA(1)(d)(x).	18

(9) ^In serial number 17 (ii)(c) and 18(ii)(c) upload the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Audit Report in Form 3CA or 3CB as applicable (e-filing utility to provide upload facility) for the business undertaking or business incidental to objects.

(10) + Electronic modes shall be the following modes referred in rule 6AABA of the Income-tax Rules, 1962:

- Credit Card;
- Debit Card;
- Net Banking;
- IMPS (Immediate Payment Service);

- (e) UPI (Unified Payment Interface);
 (f) RTGS (Real Time Gross Settlement);
 (g) NEFT (National Electronic Funds Transfer); and
 (h) BHIM (Bharat Interface for Money) Aadhar Pay;

(11) ^{^^}In serial number 41, select one or more of the following codes for specified person:

S. No	Nature of person	Code
(1)	the author of the trust or the founder of the institution;	1
(2)	any person who has made a substantial contribution to the trust or institution, that is to say, any person whose total contribution up to the end of the relevant previous year exceeds fifty thousand rupees;	2
(3)	where such author, founder or person is a Hindu undivided family, a member of the family;	3
(4)	any trustee of the trust or manager (by whatever name called) of the institution;	4
(5)	any relative of any such author, founder, person, member, trustee or manager as aforesaid;	5
(6)	any concern in which any of the persons referred above have a substantial interest.	6

(12) Particulars in Schedule 269ST need not be given in the case of receipt by or payment to a Government company, a banking Company, a post office savings bank, a cooperative bank or in the case of transactions referred to in section 269SS or in the case of persons referred to in Notification No. S.O. 2065(E) dated the 3rd July, 2017;

5. In the principal Rules, for the Form No. 10BB, the following form shall be substituted, namely:-

‘FORM No. 10BB

[See rule 16CC and 17B]

Audit report under clause (b) of the tenth proviso to clause (23C) of section 10 and sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A of the Income-tax Act, 1961, in the case of a fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution which is required to be furnished under clause (b) of the tenth proviso to clause (23C) of section 10 or a trust or institution which is required to be furnished under sub-clause (ii) of clause (b) of section 12A

* I/We have examined the balance sheet of [name of the fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution] as at and the Income and Expenditure account or Profit and Loss account for the year ended on that date are in agreement with the books of account maintained by the said fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution.

* I/We have obtained all the information and explanations to the best of *my/our knowledge and belief which are necessary for the purposes of the audit.

In * my/our opinion, proper books of account have been maintained at the registered office of the above named fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution at the address mentioned at row 11 of the Annexure :

In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to *me/us, the particulars given in the Annexure are true and correct subject to following observations or qualifications, if any—

- (a)
 (b)
 (c)

In * my/our opinion and to the best of * my/our information, and according to information given to * me/us, the said accounts give a true and fair view—

- (i) in the case of the balance sheet, of the state of affairs of the above named * fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution as on _____;and
 (ii) in the case of the Income and Expenditure account or Profit and Loss account, of the income and application/ profit or loss of its accounting year ending on

subject to the following observations/qualifications—

- (a)
 (b)
 (c)

The prescribed particulars are annexed hereto.

Place :

Date :

Signed Accountant †

Name

Membership Number

Address

Notes :

1. *Strike out whichever is not applicable.

2. †This report has to be given by - a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949).

3. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative, or with a qualification, the report shall state the reasons for the same.

ANNEXURE Statement of particulars										
Basic Details	1.	PAN of the auditee						A B C D E 1 2 3 4 F		
	2.	Name of the auditee								
	3.	Assessment Year								
	4.	Previous Year						d d m m y y y y To d d m m y y y y		
	5.	Registered address of the auditee								
	6.	Other addresses, if applicable						< refer note*>		
Legal	7.	Type of the auditee						Trust ☐ Society ☐ Company ☐ Others ☐		
	8.	Whether the auditee is established under an instrument?						Yes/No		
Management	9.	(a) Details of all the Author (s)/ Founder (s)/ Settlor (s)/Trustee (s)/ Members of society/Members of the Governing Council/ Director (s)/ shareholders holding 5% or more of shareholding / Office Bearer (s) of the auditee at any time during the previous year								
		Name of person	Relation < refer note#>	Percentage of shareholding in case of shareholder	Unique Identification Number	Id Code <refer note###>	Address	Whether there is any change in relation during previous year of audit Yes/No	If yes, specify the change	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		(b) In case if any of the persons [as mentioned in row 9(a)] is not an individual, then provide the following details of the natural persons who are beneficial owners (5% or more) of such person during the previous year								
		Sl. No.	Name	Unique Identification Number	ID code < refer note###>	Address	Non-individual person [as mentioned in serial number no 9(a)] in which beneficial ownership held	Percentage of beneficial ownership	Whether there is any change during previous year of audit Yes/No	If yes, specify the change
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Commencement of activities	10.	(i)	Where the auditee has been granted provisional registration or provisional approval, whether activities have commenced during the previous year					Yes/No		
		(ii)	If yes in 10 (i) , date of commencement of activities					d d m m y y y y		
		(iii)	If the answer to 10(i) is yes, whether application for registration under section sub-clause (iv) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A or approval under clause (iii) of the first proviso to clause (23C) of section 10 has been filed?					Yes/No		
		(iv)	If yes in 10(iii) above, the date of application for registration or approval					d d m m y y y y		
Details of Place where books of accounts and other documents have been	11.	(i)	Whether the books of account and other documents have been kept and maintained in the form and manner and at such place as prescribed under rule 17AA by the auditee?					Yes/No		
		(ii)	If Yes in (i) above, whether books of account maintained are maintained at registered office?					Yes/No		
		(iii)	If No in (ii) above, provide the following details regarding any place other than the registered place where the books of account are maintained							
		(a)	Address of such place where the books are maintained							
		(b)	Date of decision by management to keep account at such place					dd/mm/yyyy		
Voluntary contributions		(c)	Date of intimation to Assessing Officer that accounts are kept at such place under proviso to sub-rule (3) of rule 17AA					dd/mm/yyyy		
	12.	Whether auditee has filed Form No. 10BD for the previous year < If No then skip to serial number 14 >						Yes/No		
	13.	Sum total of donations reported in Form No. 10BD furnished by the auditee for the previous year						(Amount in Rs.)		
	14.	Donations not reported in Form No 10BD/ Not required to fill Form No. 10BD						Amount in Rs.		
	15.	Total voluntary contributions received by the auditee during the previous year [13+14]						Amount in Rs.		
	16.	Total Foreign Contribution out of the total voluntary contributions stated in 15						Amount in Rs.		
	17.	Voluntary Contribution forming part of corpus (which are included in 15)						Amount in Rs.		
	18.	Anonymous donations taxable @30% under section 115BBC						Amount in Rs.		
	19.	Application outside India for which approval as per the proviso to clause (c) of sub-section (1) of section 11 has been obtained						Amount in Rs.		
	20.	Voluntary contributions required to be applied by the auditee during the previous year [15-(17+18+19)]						Amount in Rs.		
	21.	Income other than voluntary contributions derived from property held under the trust referred to in section 11						Amount in Rs.		

		or income of fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution other than the contribution reported in serial number 15					
	22.	Income required to be applied in India by the auditee during the previous year [20+21]					Amount in Rs.
Application of Income	23.	Application of income (excluding application not eligible and reported under serial number 27)					
	(i)	Total amount applied for charitable or religious purposes in India during the previous year					Amount in Rs.
	(ii)	Amount which was not actually paid during the previous year [if included in (i)]					Amount in Rs.
	(iii)	Amount actually paid during the previous year which accrued during any earlier previous year but not claimed as application of income in earlier previous year					Amount in Rs.
	(iv)	Total amount to be allowed as application [23(i)- 23(ii) +23(iii)]					Amount in Rs.
	(v)	Amount invested or deposited back in corpus which was applied during any preceding previous year and not claimed as application during that previous year					Amount in Rs. < >
	(vi)	Repayment of loan or borrowing during the previous year which was earlier applied and not claimed as application during that previous year					Amount in Rs.
	Amount to be disallowed from application						
	(vii)	Amount disallowable under thirteenth proviso to clause (23C) of section 10 or Explanation 3 to sub-section (1) of section 11 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40					Amount in Rs. < Fill schedule TDS Disallowed>
	(viii)	Amount disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C) or Explanation 3 to sub-section (1) of section 11 read with sub-section (3) or (3A) of section 40A					Amount in Rs. < Fill schedule 40A(3)/schedule 40A(3A)>
	(ix)	Donation to any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub - clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in sections 11 or 12 of the Act towards corpus					Amount in Rs.
	(x)	Donation to Any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub - clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in sections 11 or 12 of the Act not having same objects					Amount in Rs.
	(xi)	Donation to any person other than any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub - clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in sections 11 or 12 of the Act					Amount in Rs.
	(xii)	Application outside India for which approval under the proviso to clause (c) of sub-section (1) of section 11 has not been obtained					Amount in Rs.
	(xiii)	Application outside India for which approval under the proviso to clause (c) of sub-section (1) of section 11 has been obtained					Amount in Rs.
	(xiv)	Applied for any purpose beyond the objects of the trust or institution					Amount in Rs.
	(xv)	Any other disallowance					Amount in Rs.
	(xvi)	Total allowable application [{ 23(iv)+23(v)+23(vi) – { 23(vii) to 23(xv)}]					Amount in Rs.
	(xvii)	Amount deemed to have been applied during the previous year under clause (2) of Explanation 1 to sub-section (1) of section 11					Amount in Rs.
	(xviii)	Income accumulated under the provisions of Explanation 3 to the third proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (2) of section 11					Amount in Rs.
(xix)	Income accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes or stated objects of trust or institution to the extent it does not exceed 15 % of the income					Amount in Rs.	
	24.	Taxable income 22- [23(xvi) to 23(xix)]					Amount in Rs.
	25.	Income taxable under section 115BBI					Amount in Rs.
	26.	Anonymous donation which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBC					Amount in Rs.
Application of income out of different sources		Application of income out of the following sources during the previous year					Amount in Rs.
	(A)	Income accumulated under the third proviso to clause (23C) of section 10 or under sub-section (2) of section 11 during any earlier previous year					Total Amount (Rs.)
	(B)	Income deemed to be applied in any preceding year under clause (2) of Explanation 1 to sub-section (1) of section 11 during any earlier previous year					Total Amount (Rs.)
	(C)	Income of earlier previous years up to 15% accumulated or set apart					Total Amount (Rs.)
	(D)	Corpus					Total Amount (Rs.)
	(E)	Borrowed fund					Total Amount (Rs.)
	(F)	Any other (please specify)					Total Amount (Rs.)
Person referred to in 13(3)	28.	Details of specified person** as referred to in sub-section (3) of section 13					
		Code of person referred to in sub-section (3) of section 13 <Refer Note^^>	Name of such person	PAN of such person	Aadhar number of such person, if allotted	Address of such person	If code 2 selected in column (1) specify the amount of contribution made to the auditee

29.	Details of income/property referred to in section 13 (2)					
(a)	Whether any part of the income or property of the auditee is, or continues to be, lent to any specified person for any period during the previous year without either adequate security or adequate interest or both					Yes/No If yes amount in Rs.
(b)	Whether any land, building or other property of the auditee is, or continues to be, made available for the use of any specified person, for any period during the previous year without charging adequate rent or other compensation					Yes/No If yes amount in Rs.
(c)	Whether any amount is paid by way of salary, allowance or otherwise during the previous year to any specified person out of the resources of the auditee for services rendered by that person to such auditee and the amount so paid is in excess of what may be reasonably paid for such services					Yes/No If yes amount in Rs.
(d)	Whether the services of the auditee are made available to any specified person during the previous year without adequate remuneration or other compensation					Yes/No If yes amount in Rs.
(e)	Whether any share, security or other property is purchased by or on behalf of the auditee from any specified person during the previous year for consideration which is more than adequate					Yes/No If yes amount in Rs.
(f)	Whether any share, security or other property is sold by or on behalf of the auditee to any specified person during the previous year for consideration which is less than adequate					Yes/No If yes amount in Rs.
(g)	Whether any income or property of the auditee is diverted during the previous year in favour of any specified person					Yes/No If yes amount in Rs.
(h)	Whether any funds of the auditee are, or continue to remain, invested for any period during the previous year, in any concern in which any specified person has a substantial interest					Yes/ No If yes amount in Rs.
30.	Whether the auditee has incurred any specified violation as referred to in Explanation 2 to the fifteenth proviso to clause (23C) of section 10 or Explanation to sub-section (4) of section 12AB and the amount of such violation					Yes/No Amount in Rs.
	(a)	Income of the auditee has been applied, other than for the objects of the trust or institution.				Yes/No Amount in Rs.
	(b)	Whether the auditee has income from profits and gains of business which is not incidental to the attainment of its objectives or separate books of account are not maintained by auditee in respect of the business which is incidental to the attainment of its objectives.				Yes/No Amount in Rs.
	(c)	Whether the auditee, referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 13, has applied any part of its income from the property held under a trust for private religious purposes, which does not enure for the benefit of the public.				Yes/No Amount in Rs.
	(d)	Whether the auditee, referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 13, has applied any part of its income for the benefit of any particular religious community or caste.				Yes/No Amount in Rs.
	(e)	Whether any activity being carried out by the auditee is not genuine or is not being carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was registered.				Yes/No Amount in Rs.
	(f)	Whether the auditee has not complied with the requirement of any other law, for the time being in force, and the order, direction or decree, by whatever name called, holding that such non-compliance has occurred, has either not been disputed or has attained finality.				Yes/No
31.	Whether there is any claim of depreciation or otherwise has been made in terms of Explanation 1 to clause (23C) of section 10 or sub-section (6) of section 11 in respect of any asset, acquisition of which has been claimed as an application of income and the amount of such depreciation?					Yes/No If yes specify the amount
32.	Whether the auditee is required to deduct or collect tax as per the provisions of Chapter XVII-B or Chapter XVII-BB					(If yes, fill Schedule TDS/TCS/ Interest on TDS/TCS as applicable)

Schedules to fill as may be applicable < refer to instructions> Form 10BB**Schedule TDS disallowable: Details of amounts inadmissible and amount disallowable under thirteenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (1) of section 11 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40:****(a) Details of payment on which tax is not deducted**

Date of Payment dd/mm/yyyy	Amount of payment (in Rs.)	Nature of payment	Name of payee	PAN or Aadhar of payee, if available	Address of payee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(b) Details of payment on which tax has been deducted but has not been paid on or before the due date specified in sub-section (1) of section 139

Date of Payment dd/mm/yyyy	Amount of payment (in Rs.)	Nature of payment	Name of Payee	PAN or Aadhar of payee, if available	Address of payee	Amount of tax deducted	Amount out of (7) deposited, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Schedule 40A(3): Details of amount is disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C) or Explanation 3 to sub-section (1) of section 11 read with sub-section (3) of section 40A

S. No.	Date of payment	Amount of payment (In Rs)	Nature of payment (In Rs)	Details of payee		
				Name	PAN or Aadhar, if available	Address

Schedule 40A(3A): Details of Amount disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C) or sub-section (1) of section 11 read with sub-section (3A) of section 40A

S. No.	Date of payment	Amount	Nature	Details of payee		
				Name	PAN or Aadhar, if available	Address

Schedule TDS/TCS

Tax deduction and collection account number (TAN)	Section	Nature of payment	Total amount of payment or receipt of the nature specified in column (3)	Total amount on which tax was required to be deducted or collected out of (4)	Total amount on which tax was deducted or collected at specified rate out of (5)	Amount of tax deducted or collected out of (6)	Total amount on which tax was deducted or collected at less than specified rate out of (7)	Amount of tax deducted or collected on (8)	Amount of tax deducted or collected but not deposited to the credit of the Central Government out of (6) and (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Schedule Statement of TDS or TCS

Tax deduction and collection account number (TAN)	Type of Form	Due date for furnishing	Date of furnishing, if furnished	Whether the statement of tax deducted or collected contains information about all transactions which are required to be reported
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Schedule Interest on TDS/TCS

Tax deduction and collection account number (TAN)	Amount of interest under section 201(1A) or 206C(7) is payable	Amount paid out of column (2).	Date of payment of amount
(1)	(2)	(3)	(4)

Notes to Form 10BB

- Any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub - clauses (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in sections 11 or 12 of the Act shall be referred as “auditee” in this form;
- **Any person referred to in sub-section (3) of section 13 shall be referred as specified person in this form;
- *In serial number 6, provide the address which has been decided by the management by way of a resolution and which has been intimated to the jurisdictional Assessing Officer in writing within seven days of such resolution as per the proviso to sub-rule (3) of rule 17AA;

- #In serial number 9(a), in column (2) for relation one or more of the following codes shall be selected

S. No	Section	Code
(1)	Author	1
(2)	Founder	2
(3)	Settlor	3
(4)	Trustee	4
(5)	Members of society	5
(6)	Members of the Governing Council	6
(7)	Director	7
(8)	Shareholders holding 5% or more of shareholding	8
(9)	Office Bearer (s)	9
(10)	Others	10

- ##In serial number 9(a), in column (5), and in serial number 9(b), in column (4) for unique identification number and if code, the following should be filled:

- (c) If PAN or Aadhar number is available, the same should be mandatorily filled and the following ID code shall be filled:

Type of Identification	Code
PAN	1
Aadhar Number	2

- (d) If neither PAN or Aadhar is available, one of the following should be filled:

Type of Identification	Code
Taxpayer Identification Number of the country where the person resides;	3
Passport number;	4
Elector's photo identity number	5
Driving License number	6
Ration card number	7

6. ^In serial number 28, select one or more of the following codes for specified person:

S. no	Nature of person	Code
(1)	the author of the trust or the founder of the institution;	1
(2)	any person who has made a substantial contribution to the trust or institution, that is to say, any person whose total contribution up to the end of the relevant previous year exceeds fifty thousand rupees;	2
(3)	where such author, founder or person is a Hindu undivided family, a member of the family;	3
(4)	any trustee of the trust or manager (by whatever name called) of the institution;	4
(5)	any relative of any such author, founder, person, member, trustee or manager as aforesaid;	5
(6)	any concern in which any of the persons referred above have a substantial interest.	6

[Notification No. 7/2023 [F. No.370142/47/2023-TPL]

VIPUL AGARWAL, Director (Tax Policy and Legislation Division)

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R. 95 (E), dated 14th February, 2023.